27वीं वार्षिक रिपोर्ट
27th ANNUAL REPORT
2014-15

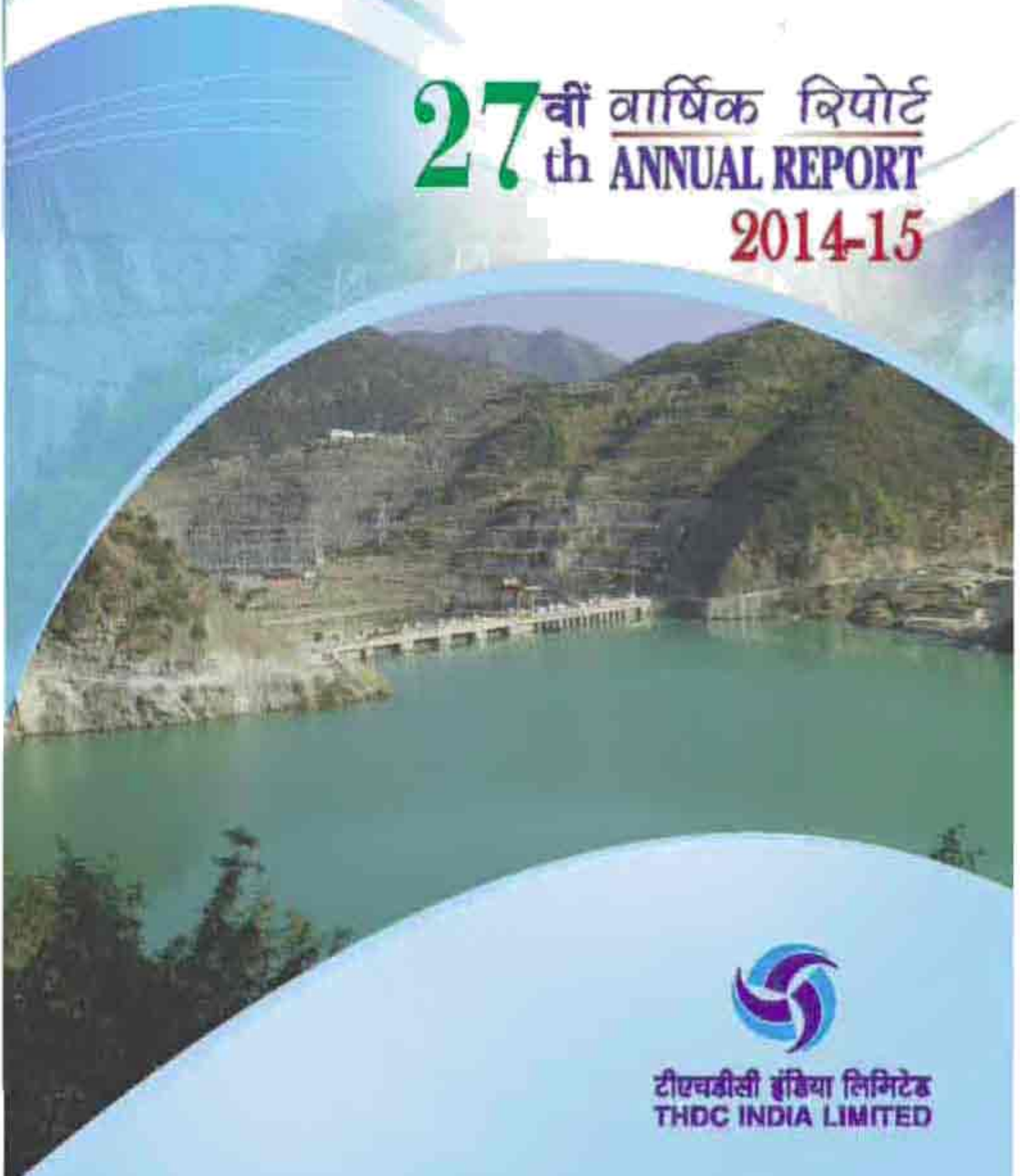

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

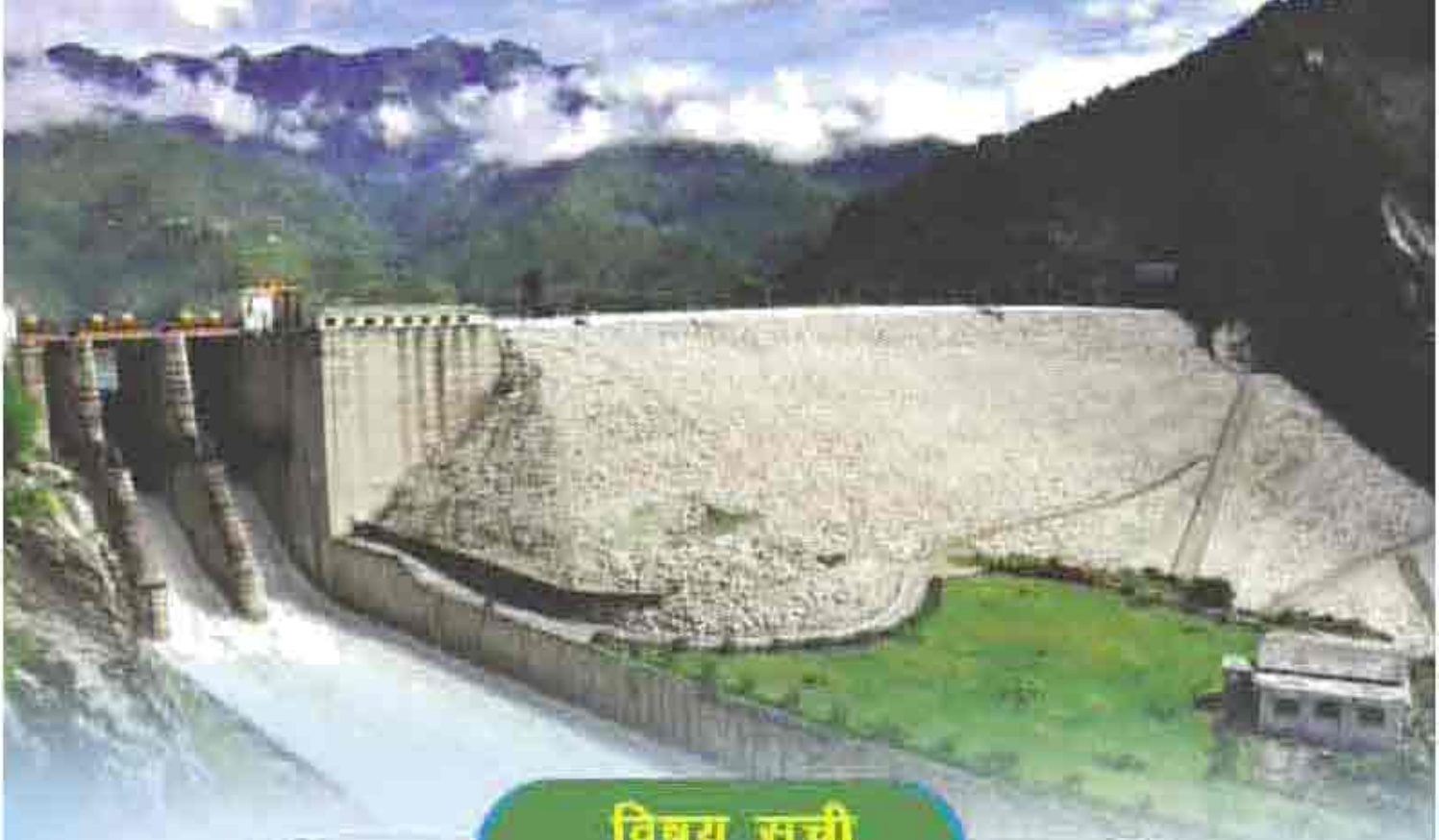

विषय सूची
Contents

- निदेशक मंडल / Board of Directors — 3
- अध्यक्ष का अभिभाषण / Chairman's Address — 5
- निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report — 9
- कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट / Report on Corporate Governance — 26
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सततता की रिपोर्ट / Report on Corporate Social Responsibility & Sustainability — 36
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां / Significant Accounting Policies — 77
- तुलन – पत्र / Balance Sheet — 81
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट / Independent Auditor's Report — 117
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां / Comments of C & AG of India — 123

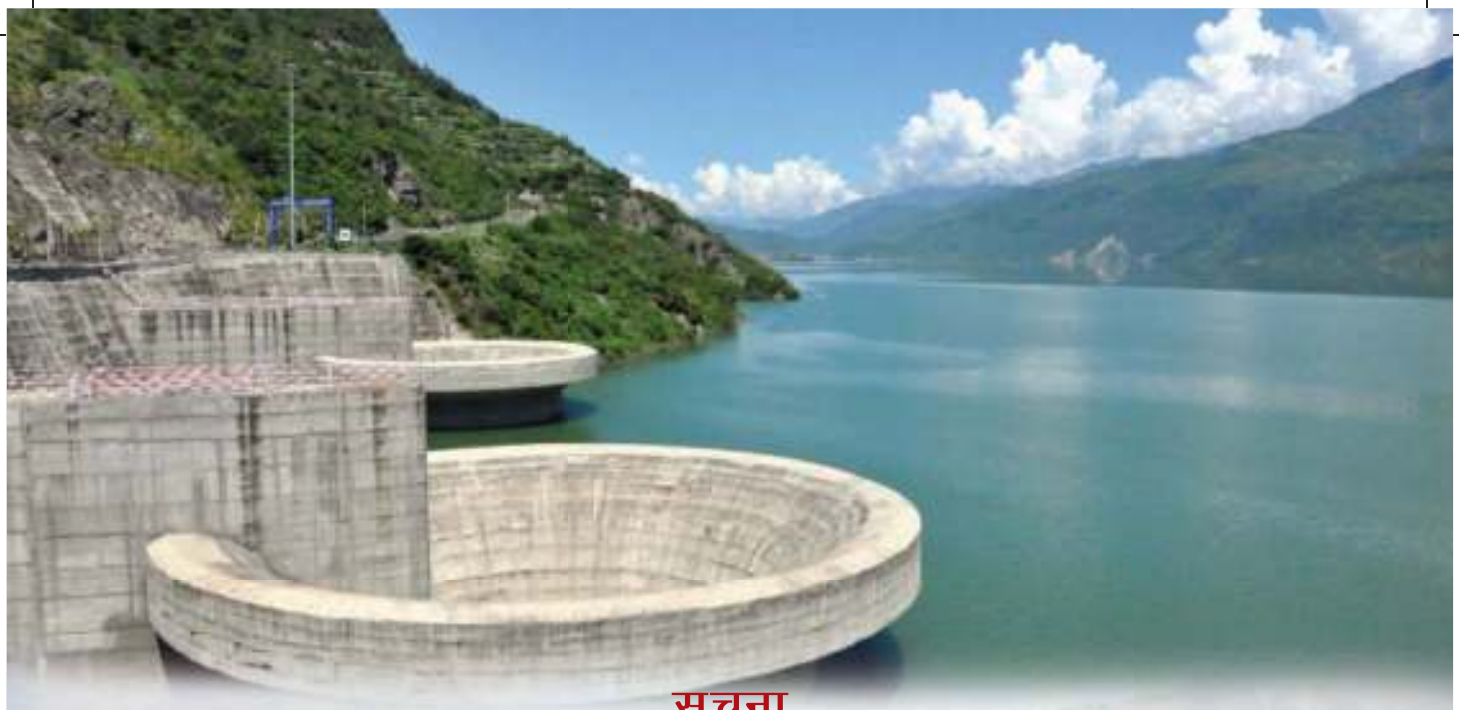

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम सभा **टीएचडीसीआईएल,** प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110003 (दूरभाष 011–24366117) में दिनांक 22.09.2015 को सायं 5:00 बजे की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे–

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2. 31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।
3. वर्ष 2014–15 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कार्य

4. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।
5. सुरक्षित बांड जारी कर 2500 करोड़ रु. उधार लेना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से

(एस.क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
मो. 9412998458
सदस्यता सं. F6445

सेवा में,

- टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्य
- श्री ज्ञानेश भारती, निदेशक (हाइडल), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
- श्री जी.एस.प्रियदर्शी, विशेष सचिव(सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक– मैसर्स भाटिया एंड भाटिया, सनदी लेखाकार, 12 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110001
- सचिवीय लेखा परीक्षक–श्री पी.एस.आर. मूर्ति

नोट : बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कंपनी का सदस्य प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होगा जो उसके स्थान पर बैठक में भाग लेकर मत दे सकेगा। प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी फार्म और व्याख्यात्मक विवरण संलग्न हैं।

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 09.09.2015

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

पंजीकृत कार्यालय

भागीरथी भवन (टॉप टेरिस), भागीरथीपुरम,
टिहरी (गढ़वाल) – 249001 (उत्तराखण्ड)
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एनसीआर
प्लाट नं. 20, सेक्टर – 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
26, ईसी रोड, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

पुणे
अरुण प्लाजा, द्वितीय तल, गली नं. 19/3, हिंजेवाडी रोड,
डांगे चौक, तिरगांव, पुणे – 411033 (महाराष्ट्र)

वीपीएचईपी
अलकनंदापुरम, सियासेन, पीपलकोटी, जिला – चमोली (उत्तराखण्ड)

कम्पनी सचिव

श्री एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
12, सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

यह रिपोर्ट 22.09.2015 को कंपनी की 27वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई।

निदेशक मंडल
22.09.2015 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दीपक सिंघल
प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती अंजू भल्ला
संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. बिस्वास
निदेशक (कार्मिक)

श्री श्रीधर पात्रा
निदेशक (वित्त)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

हमारी अभिदृष्टि

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।

हमारा मिशन

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियो एवं सज्जनो,

मैं आपकी कंपनी की 27वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

वर्ष 2014–15 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय वितरण पहले से ही आपके पास हैं और मैं यह मान लेता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया होगा।

वर्ष 2014–15 की मुख्य विशेषताएं

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान दोनों प्रचालनात्मक संयंत्रों 1000 मे.वा टिहरी एचईपी और 400 मे.वा. के कोटेश्वर एचईपी ने उत्कृष्ट निष्पादन को बनाए रखा है। संयंत्रों से वार्षिक लक्ष्य 4,070 मि.यू. के मुकाबले 4,147 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया गया, जो उनकी द्वारा डिजाइन ऊर्जा पर 5% वृद्धि को दर्शाता है। टिहरी एचईपी से 77% मानक मूल्य की तुलना में 83% से अधिक की परिचालन क्षमता हासिल की गई, जबकि कोटेश्वर एचईपी से 67% मानक मूल्य की तुलना में 68% परिचालन क्षमता हासिल की गई।

आपकी कंपनी द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा विकसित करने के लिए सरकार की पहल में ईमानदारी से भाग लेने हेतु प्रयास किया गया है। एक मामूली शुरूआत के तौर पर 250 मे.वा. तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु फरवरी, 2015 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। योजनाबद्ध 250मे.वा. के पहले चरण के रूप में केरल में 50 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए टीएचडीसीआईएल, एसईसीआई और केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा गुजरात राज्य में भी ग्रिड से जुड़े 50 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए निविदा पर विचार अगले चरण में है।

आपकी कंपनी एक अच्छे कारपोरेट सुशासन पद्धतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी परियोजनाओं और कारपोरेट कार्यालय के पास अब आईएसओ–9001; गुणता प्रबंधन, आईएसओ–14001; पर्यावरण प्रबंधन और आईएसओ–18001; व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणन है। आपकी कंपनी में अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन परिवाद निवारण प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है।

देवियो और सज्जनो, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में स्थित विद्यालयों में 1,189 शौचालयों का निर्माण किया है। टीम इंडिया के सदस्य के रूप में आपकी कंपनी के योगदान की भारत सरकार ने सराहना की है।

मेरे लिए यह सूचित करना सौभाग्य की बात है कि कंपनी की वर्ष 2013–14 के लिए एम.ओ.यू. निष्पादन रेटिंग 'उत्कृष्ट' घोषित की गई थी, जबकि वर्ष 2015–16 में भी हम इसी तरह की रेटिंग की आशा रखते हैं।

विद्युत सेक्टर में उभरते हुए अवसर और चुनौतियां

भारतीय अर्थव्यवस्था का अगले पांच वर्षों में करीब 6.5% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करने का पूर्वानुमान है। इस विकास दर को हासिल करने के लिए, बिजली की समान समान उपलब्धता के अनुरूप इसकी मांग में भारी वृद्धि की उम्मीद है। सीईए द्वारा किए गए 18वीं इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार वर्ष 2021–22 तक अखिल भारतीय बिजली की खपत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) करीब 8% होने का अनुमान है।

औद्योगिक जरूरत के अलावा, सरकार द्वारा किए गए सभी के लिए आवास की पहल तथा घरेलू उपकरणों के प्रवेश के कारण बिजली की मांग में वृद्धि की उम्मीद है।

आर्थिक विकास और बिजली की मांग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी इस उभरते हुए अवसर का फायदा उठाने के लिए सभी तरह के उपायों को करेगी। हाल ही में आपकी कंपनी ने अभिदृष्टि कथन की पुनरीक्षा

वर्ष 2013–14 के लिए श्री आर.एस.टी. शाई, अ.एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी राजभाषा का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए

उभरती हुई चुनौतियों के साथ तालमेल करने हेतु की है। आपकी कंपनी का अभिदृष्टि कथन अब अपने उद्देश्य को 'पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय ऊर्जा इकाई का होना दर्शाता है।

वाणिज्यिक निष्पादन और लाभप्रदता

वर्ष के दौरान सकल बिक्रियां गत वर्ष के दौरान 2,043.77 करोड़ रु. की तुलना में 2381.38 करोड़ रु. हुई थीं। आपकी कंपनी का शुद्ध लाभ गत वर्ष के दौरान 595.32 करोड़ रु. की तुलना में 16% की वृद्धि के साथ 691.15 करोड़ रु. हुआ है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्राप्तियों की बेहतर वसूली से वर्ष 2014–15 के लिए करोपरांत लाभ का 20% लाभांश 140 करोड़ रु. की राशि की सिफारिश करने में आपका बोर्ड समर्थ हो सका।

कंपनी के लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर, इस वर्ष की एमओयू रेटिंग आंतरिक रूप से ''उत्कृष्ट'' मूल्यांकित की गई है और विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजनाएं

वर्तमान में आपकी कंपनी की तीन हाइड्रो पावर परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000मे.वा.), विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.) और ढुकुवां एसएचपी (24 मे.वा.) निर्माण के चरण में है।

टिहरी पीएसपी को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, जिनके कारण डिजाइन में परिवर्तन, सहायक प्रणालियां की स्थापना करना पड़ा तथा ईपीसी संघ के सिविल कार्य भागीदार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, फलस्वरूप शुरू में टिहरी पीएसपी में देरी हुई। नामित खदान क्षेत्र से मलवा हटाने, खनन गतिविधियों के निलंबन में भी प्रतिरोध की वजह से गड़बड़ी हुई। आपकी कंपनी ने प्रगति को बहाल करने के लिए सिविल कार्यों के ठेकेदारों को विशेष ब्याज के साथ अग्रिम की स्वीकृति सहित सुधारात्मक कदम उठाए हैं। प्रमुख संरचनाओं की डिजाइन को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और विभिन्न कार्य मोर्चों पर प्रगति दर्ज की गई है। परियोजना दिसंबर, 2018 में चालू होने की उम्मीद है।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचपीपी के सिविल कार्य प्रारंभ में विद्युत गृह में भू–गार्भिक विचलनों और स्थानीय दबाव समूह द्वारा विरोध के कारण प्रभावित हुए थे। स्थानीय मुद्दों को भी स्थानीय अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करवाकर तथा राज्य सरकार की सहायता और भारत सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप से हल किया जा रहा है। ई. एंड एम. कार्यों के लिए अनुबंध पर भी नवंबर–2014 में बीएचईएल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के दिसंबर,2019 तक चालू होने की संभावना है।

24 मे.वा. ढुकुवां एसएचपी में, सिविल कार्य अप्रैल, 2015 में शुरू किया गया है। यहां पर भी स्थानीय दबाव समूहों द्वारा बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। आपकी कंपनी जिला अधिकारियों की मदद से प्रगति को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हाल ही में, एच.एम. कार्यों के लिए अनुबंध भी अवार्ड किया गया है। आपकी कंपनी वर्ष 2018–19 तक परियोजना को चालू करने का प्रयास कर रही है।

जैसा कि पहले अवगत कराया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2013 में उत्तराखंड की 2013 बाढ़ के मद्देनजर भागीरथी और अलकनंदा घाटियों में स्थित 24 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमति पर रोक लगा दी थी। आपकी कंपनी ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश से प्रभावित टीएचडीसीआईएल की मलेरी झेलम, झेलम तमक और अन्य परियोजनाओं के संबंधित आदेश की समीक्षा हेतु मामले की योग्यता के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा का आदेश दिया है। प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में टीएचडीसीआईएल की झेलम तमक एचईपी शामिल है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सततता

आपकी कंपनी, कंपनी के व्यापार के प्रचालनात्मक क्षेत्र में प्रभावित समुदायों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। 29.09 करोड़ रु. की राशि कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया गया था। टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) दो स्कूलों को ऋषिकेश और टिहरी में एक–एक चला रहा है। छात्रों की कुल संख्या 695 है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास चल रहा है।

आपकी कंपनी की एक मुख्य पहल सीएसआर के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में 4 वर्ष का शैक्षणिक ब्लॉक पूरा हो चुका है और उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सौंप दिया है।

आपकी कंपनी अपने मेजबान समुदाय के कल्याण और विकास को कृतज्ञता के बजाए एक दायित्व के रूप में मानती है। कंपनी यूनिटों के आसपास के समुदायों के साथ भागीदारी को महत्व देती है। पर्याप्त सामाजिक निवेश इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि एक व्यापार इकाई के रूप में कंपनी की सफलता अपने व्यापार इकाइयों के आसपास के समुदायों की सामाजिक–आर्थिक मार्मिकता और स्वास्थ्य के साथ सीधे जुड़ी हुई है। कंपनी द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक पहल प्रतापनगर तहसील में दीन गांव केंद्र से 30 कट ऑफ गांव के समग्र विकास के लिए है। इन गांवों में कौशल विकास, स्वरोजगार आय अर्जन योजनाओं और स्वास्थ्य केंद्र संस्थापित किया गया है जिन्हें किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सहयोग से विकसित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लक्षित समुदायों के लिए 12 मल्टी स्पेशियलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। 4000 से अधिक रोगियों को इन शिविरों से लाभान्वित किया गया।

आप जानते हैं कि आपकी कंपनी उन कंपनियों में से पहली है, जो नियमित रूप से सततता रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है और यह सामाजिक, पर्यावरण और व्यापार के आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के साथ–साथ सततता रिपोर्टिंग के जीआरआई दिशानिर्देशों के अनुसार है। छठवीं सततता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और पारदर्शिता एवं निरंतर सुधार लाने में सक्षम करने हेतु प्रतिपुष्टि देने के लिए वेबसाइट पर दर्शायी गयी हैं।

श्री पी.के. सिन्हा, सचिव (ऊर्जा), भारत सरकार तथा श्री आर.एस.टी. शाई, अ.एवं प्र.नि., टीएचडीसीआईएल वर्ष 2015-16 के एमओयू दस्तावेज का आदान-प्रदान करते हुए

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की आवश्यकताओं का पालन किया गया है। आपकी कंपनी ने डीपीई द्वारा निर्धारित कारपोरेट सुशासन ग्रेडिंग प्रणाली के तहत इसकी शुरुआत के बाद से ही कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए हमेशा 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल की है।

कंपनी की 27वीं वार्षिक आम सभा का दृश्य

प्रापण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्र बाह्य मानीटरों और प्रबंधन के बीच सत्यनिष्ठा समझौते को लागू करने के लिए चार त्रैमासिक बैठक आयोजित की गईं। व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) और प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) पर एक अध्याय को अच्छा कारपोरेट सुशासन के हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

भावी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी बुलंदशहर जिले में 2x660 मे.वा. खुर्जा एसटीपीपी को अपने पहले थर्मल उद्यम के रूप में उच्च प्राथमिकता दे रही है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यूपीएसआईडीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि के 1201 एकड़ जमीन के हस्तांतरण पर व्यय सहित पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचार के अग्रिम चरण में है। आवश्यक मंजूरियां मिल रही हैं और एक बार कोयले की उपलब्धता प्रदान की जाती है तभी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा सकता है, जिसके लिए आपकी कंपनी आवश्यक कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग–91 का रास्ता बदलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहमति पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता पर प्लांट भूमि का अधिग्रहण कर 660 मे.वा. की एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना संभव है। तदनुसार, 660 मे.वा. की तीसरी इकाई के लिए डीपीआर तैयार की रही है। 13वीं योजना के अंत तक खुर्जा परियोजना से 1980 मे.वा. बिजली की उपलब्धता से न केवल उत्तरी क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बिजली की उपलब्धता में बड़ी वृद्धि होगी बल्कि कंपनी के लिए विद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी होने की अपनी अभिदृष्टि में एक लंबी छलांग होगी।

आपकी कंपनी विश्व स्तरीय ऊर्जा संस्थानों की प्रथाओं की तर्ज पर अपने स्वयं की रणनीतिक बैंचमार्क योजना बनाने के लिए उद्योग में विभिन्न मानकों का विश्लेषण कर रही है।

आभार

देवियो और सज्जनो, आपकी कंपनी के 2000 से अधिक कर्मचारियों को पावर सेक्टर में चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के नए सेट को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, सीईए, सीडब्ल्यूसी अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति भी उनके सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और निरंतर सहायता दी है।

मैं बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ।

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.09.2015

निदेशकों की रिपोर्ट–2014–15

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2014-15	2013-14
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	23971	21738
अन्य आय	108	86
सकल आय (क)	**24079**	**21824**
व्यय		
कर्मचारियों के हितलाभ से जुड़े व्यय	2244	1886
वित्तीय लागतें	4388	5303
मूल्यह्रास	4839	4812
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1785	1537
संदिग्ध ऋण, प्राप्य एवं बट्टे खाते हेतु प्रावधान	2044	0
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी) पूर्वावधि समायोजन	1399	1626
कुल व्यय (ख)	**16699**	**15164**
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)(क–ख)	**7380**	**6660**
कर (निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियो)	469	707
करोपरांत लाभ (पीएटी)	**6911**	**5953**

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व एवं लाभ

आपकी कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में वित वर्ष 2014–15 में करोपरांत लाभ (पैट) के साथ–साथ सकल राजस्व अर्जन में वृद्धि दर्ज की है। गत वर्ष की तुलना में वित वर्ष 2014–15 में सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ में भी वृद्धि हुई है। सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ (पैट) व करोपरांत % परिवर्तन को नीचे सारणीबद्ध किया गया है–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि
सकल राजस्व	24079	21824	2255
करोपरांत लाभ	6911	5953	958
सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ %	28.70%	27.28%	1.42%

1000 मेगावाट भूमिगत विद्युत गृह, टिहरी एचपीपी का एक दृश्य

गत पांच वर्षों के निवल लाभ का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है:

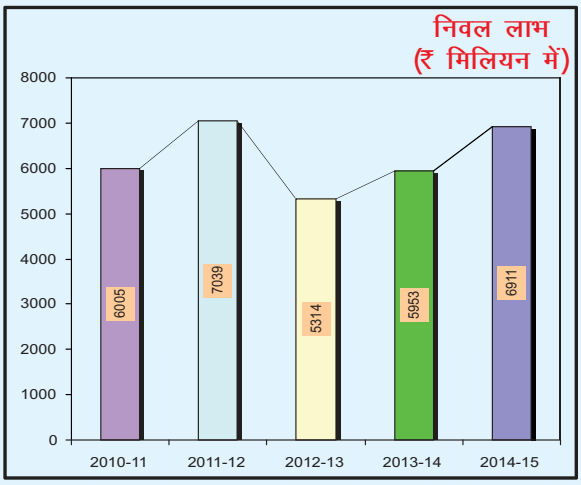

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 39.67 रु. प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश के लिए संस्तुति की है। वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान 1400 मिलियन रु. है जो करोपरांत लाभ (पैट) का 20.26% है।

पूंजी ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रु. है। कंपनी प्रदत्त शेयर पूंजी 35289 मिलियन रु. है। वर्ष के दौरान कंपनी को इक्विटी के लिए भारत सरकार से 557.90 मिलियन रु. प्राप्त हुए हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन

- **टिहरी तथा कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों से उत्पादन**

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, आपकी कंपनी ने टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों में उत्कृष्ट ऊर्जा उत्पादन किया तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के रूप में उत्कृष्टता दर्ज कराई है। ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं:–

संयंत्र का नाम	मि. यू. में उत्पादन		संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) की प्रतिशतता	
	एमओयू में निर्धारित लक्ष्य (उत्कृष्ट)	उपलब्धि	एमओयू में निर्धारित लक्ष्य (उत्कृष्ट)	उपलब्धि
टिहरी एचपीपी (1000 मेवा.)	3150 मि.यू.	3004.00 मि.यू.	82	83.39
कोटेश्वर एचईपी (400 मेवा.)	1260 मि.यू.	1210.17 मि.यू.	67	67.97

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे उन्होंने हमें 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को स्वीकार किया है। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के राजस्व परिचालन के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ब्यौरे इस प्रकार हैं–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2014-15	2013-14
परिचालन से राजस्व	23971.6	21737.6
नगदी वसूली %	83%	100%

परियोजना वित्तपोषण

कंपनी ने अपने चल रही पूंजीगत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ वित्तीय गठजोड़ बनाया है। वित्तीय गठजोड़ के ब्यौरे तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आहरित किए गए धन का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

परियोजना का नाम	ऋणदाता का नाम	ऋण धनराशि	करंसी	वर्ष 2014–15 के दौरान आहरण किया गया धन	31.03.2015 के अनुसार बकाया ऋण
वीपीएचईपी परियोजना					
1	विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस डॉलर 648 मिलियन	यूएस डॉलर	69.21 करोड़ रु.	162.52 करोड़ रु.
टिहरी पीएसपी परियोजना					
1	एसबीआई	1500 करोड़ रु.	रुपए	569.99 करोड़ रु.	739.99 करोड़ रु.
2	सोसाइटी जनरल	यूरो 83.868 मिलियन	यूरो	0.00	0.00

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

• टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट)

पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत कार्यक्रता पर कार्य करता है। टिहरी पीएसपी में प्रत्येक 250 मेगावाट की रिवर्सिबल 04 इकाइयां होंगी। यह ऑफ पीक ऊर्जा को व्यस्ततम ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। व्यस्त समय न होने पर पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी। व्यस्त समय में यह टरबाइन विधि से कार्य करेगा जिससे उत्तरी क्षेत्र के लिए 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग पावर का उत्पादन होगा।

जुलाई, 2011 में ईपीसी संविदा अवार्ड किए जाने के बाद कंपनी को विभिन्न वाह्य कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान से कुल खनन की अनुमति न मिलना, निर्धारित डंपिंग क्षेत्र में मलबा न डालने देना तथा ठेकेदारों इत्यादि के साथ नकदी संकट से जूझना पड़ा है जिससे कार्य की प्रगति धीमी हुई है। हालांकि, राज्य प्रशासन के साथ लगातार अनुनय और वाह्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के चलते कंपनी निरंतर कार्य करने में सक्षम हुई है। साथ ही सभी मोर्चों पर काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदार को अस्थाई ब्याज आधारित वाली कार्यशील पूंजी दे दी गई।

परियोजना की अनुमोदित लागत, किए गए व्यय एवं कमीशनिंग की अनुसूची का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

लागत (करोड़ रू. में)		अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (मार्च, 15 तक)	अनुमोदित	अनुमानित
2978.86 रु. (अप्रैल, 10 के मूल्य स्तर पर आरसीई के अनुमोदनानुसार)	1180.42 रु. (39.63%)	फरवरी–16	मई–18

• विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है ताकि अलकनंदा नदी में सकल शीर्ष 237 मी. का दोहन किया जा सके। इससे प्रति वर्ष 1,674 मि.यू. (90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष) यूनिट का उत्पादन होगा। कुल 13 प्रतिशत गृह राज्य उत्तराखंड को निशुल्क दी गई बिजली में से 01 प्रतिशत का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास के प्रति योगदान के लिए किया जाएगा।

सिविल और एचएम पैकेज के लिए मैसर्स एचसीसी लिमिटेड, मुंबई के साथ 54 माह की पूर्णता अवधि के साथ संविदा पर हस्ताक्षर दिनांक 17.01.2014 को किए गए।

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

ठेकेदार ने अनेक प्रकार के कार्यों से संबंधित सामान जुटा लिया है तथा कार्य प्रगति पर है। तथापि, कार्य की प्रगति में स्थानीय निवासियों द्वारा बंद कराने/व्यवधान पैदा करने के कारण असर पड़ा है। जब स्थानीय मुद्दों को जिला प्रशासन के साथ सुलझाने की कोशिश की जा रही थी तब तक डाइवर्जन टनल की खुदाई, डीसिल्टिंग चैम्बर्स की एडिट्स, बांध स्थल पर इंटेक तथा एचआरटी, विद्युत गृह शीर्ष (वेंटीलेशन सुरंग) तथा विद्युत गृह स्थल में मुख्य पहुंच टनल में कुछ प्रगति हुई है।

इलैक्ट्रो–मैकेनकिल कार्यों के लिए मैसर्स बीएचईएल, नोएडा के साथ 48 माह की पूर्णता अवधि के लिए दिनांक 18.11.2014 को हस्ताक्षर किए गए। परिकल्प एवं अभियांत्रिकी कार्य प्रगति पर हैं। टरबाइन का मॉडल

परीक्षण बीएचईएल, भोपाल में दिनांक 01.08.2015 को सफलतापूर्वक किया गया। सिविल एवं एचएम तथा ईएम कार्यों के ठीक से पूरा होने पर परियोजना दिसंबर, 2019 तक कमीशन किए जाने की संभावना है।

परियोजना की अनुमोदित लागत, व्यय एवं कमीशनिंग की अनुसूची नीचे दी गई है–

लागत (करोड़ रु. में)		अनुसूची	
अनुमोदित (निवेश अनुमोदन दिनांक अगस्त, 08)	व्यय (मार्च, 15 तक)	अनुमोदित (निवेश अनुमोदन दिनांक अगस्त, 08)	अनुमानित
2491.58 रु. (मार्च, 08 के मूल्य स्तर पर)	592.44 रु. (23.77%)	जून–2013	दिसंबर –2019

- **ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)**

ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूद ढुकुवां चिनाई किए गए तथा कच्चे बांध के निचले सिरे के अंत में निर्माण करने का विचार किया गया है। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता से युक्त परियोजना, बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का हिस्सा है। पूरा हो जाने पर परियेाजना से प्रति वर्ष 97.82 मि.यू. बिजली का उत्पादन होगा।

- सिविल पैकेज के लिए करार पर हस्ताक्षर 2 जून,2014 को वन भूमि हस्तांतरण के बाद 24 दिसंबर, 2014 को किया गया।
- आधारभूत कार्य प्रगति पर हैं। पहुंच चैनल की खुदाई कार्य, एचआरसी और विद्युत गृह कार्य भी प्रगति पर है। प्रबंधन स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा लगातार उनके द्वारा अपने निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लघु अनुबंध के लिए दबावों/अड़चनों को हल करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।
- एचएम पैकेज अवार्ड कर दिया गया है, और
- इलैक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

परियोजना की लागत, किए गए व्यय और कमीशनिंग अनुसूची नीचे दी गई है–

लागत (करोड़ रु. में)		अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (मार्च, 15 तक)	अनुमोदित	अनुमानित
195.42 रु. (निवेश अनुमोदन के अनुसार)	25.17 रु. (12.88%)	फरवरी–14	2018–19

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

आपकी कंपनी ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोतों में विविधीकरण के लिए प्रयास कर रही है।

- **सौर ऊर्जा उत्पादनः**

  टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 13.02.2015 को 250 मे. वा. क्षमता तक ग्रिड कनैक्टिंग सोलर पावर परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें से प्रारंभ में 50 मे.वा. तक सोलर पावर उत्पादन प्रस्तावित है।

- केरल के जिला कसरगौड में 50 मे.वा. सौर परियोजना के विकास हेतु दिनांक 31.03.2015 को टीएचडीसीआईएल एवं केरल राज्य विद्युत बोर्ड, एसईसीआई के मध्य एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टीएचडीसीआईएल ने एसईसीआई को प्रारंभिक भुगतान के रूप में 7.165 करोड़ रु. अवमुक्त किए हैं।

- केरल सरकार से कसरगौड जिला में 50 मे.वा. सौर परियोजना के विकास हेतु अपेक्षित भूमि के कब्जा हेतु कार्रवाई प्रगति पर है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम कार्य को अवार्ड करने हेतु बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।

- **पवन ऊर्जा उत्पादन**

पवन क्षमता संभावित राज्यों जैसे राजस्थान/मध्य प्रदेश/गुजरात/महाराष्ट्र में से किसी राज्य में उपयुक्त स्थान पर 20 वर्षों के व्यापक प्रचालन और अनुरक्षण सहित 50 (± 1.0) मे.वा. क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना के इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) कार्य हेतु बोलियां 01.10.2014 को आमंत्रित की गई थीं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा अंतिम तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्तीय बोली 25.05.2015 को खोली गयी थी और मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

- **संकोश एचईपी (8 x 312.5 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना (8 x 312.5 मेगावाट) वर्टिकल फ्रांसिस टरबाइन का संस्थापन कर और 5,949.05 मि.यू. बिजली का उत्पादन कर तथा (3 x 28.33 मेगावाट) फ्रांसिस टरबाइन का संस्थापन कर और 416.34 मि.यू. बिजली उत्पादन कर मुख्य बांध के डाउनस्ट्रीम को विनियमित कर मुख्य बांध के टो में दो बिजली घरों (बायां किनारा और दाहिना किनारा)

का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में 215 मीटर की इष्टतम ऊंचाई सहित आरसीसी (रोलर कंपैक्टेड कंकरीट) बांध की संकोश (2585मेगावाट) की डीपीआर सीईए/ सीडब्ल्यूसी में जांच की जा रही है।

1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी का भूमिगत निर्माण कार्य प्रगति पर

बुनाखा एचईपी (3x60 मेगावाट)

प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि. यू. वार्षिक ऊर्जा के उत्पादन सहित उर्ध्वाधर फ्रान्सिस टरबाइन (3 x 60 मेगावाट) की स्थापना कर तथा भंडारण बांध और टो पावर हाउस का निर्माण कर बुनाखा एचईपी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की निर्माण अवधि 01 वर्ष के पूर्ण निर्माण चरण सहित 69 माह है। फरवरी, 14 के दौरान, भूटान शाही सरकार ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर्सरकारी करार (आईजी) पर अप्रैल, 2014 में हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना अलग रूप से आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं है। सीईए/सीडब्ल्यूसी ने इसे दोनों डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं एवं विषय परियोजना विधि से वित्तपोषण का निर्धारण किया है। मामले को ईजेजी (इम्पावर्ड ज्वाइंट ग्रुप) को डाउनस्ट्रीम परियोजना के रूप में पुनर्विचार हेतु भेज दिया गया है। लागत अनुमान को मूलरूप से 2013 मूल्य स्तर पर तैयार कर अप्रैल, 2015 के मूल्य स्तर पर परिशोधित किया गया। इ जे जी द्वारा लागत साझा तंत्र को अभी अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

टिहरी जलाशय – शॉफ्ट स्पिलवे (मॉर्निंग ग्लोरी से जल की निकासी)

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधिकरण

- **खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–(1320 मे.वा.)**

यह उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में कोयले पर आधारित 1320 मे.वा. का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। संयंत्र से कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का 85% है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 53 क्यूसेक पानी छोड़े जाने संबंधी वचन–पत्र जारी किया गया है। परियोजना के ले–आउट और डीपीआर को भविष्य में 660 मे. वा. क्षमता की तीसरी इकाई के प्रावधान सहित 660 मे.वा. प्रत्येक की 2 इकाइयों के थर्मल पावर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पुनरीक्षित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी विचाराधीन विषयों (टीओआर) की वैधता को 26 अक्टूबर, 2015 तक बढ़ा दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना की संशोधित ले–आउट को भविष्य में 660 मे.वा. की तृतीय इकाई के विस्तार सहित, 1200 एकड़ के संपूर्ण प्लाट के उपयोग के साथ स्वीकार कर लिया है।

कोल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2015 को तीन आवेदन (1 महानदी, मच्छकता, 2 चेंदीपाड़ा, चेंदीपाड़ा–।। और 3, मारा ।।, महान) दाखिल किए गए हैं। भू–अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग–91 का मार्ग बदलने के प्रति 585.82 करोड़ रु. व्यय करने के लिए पीआईबी की संस्तुति के लिए प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है। यूपीएसआईडीसी द्वारा भू–अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। भूमि के वास्तविक कब्जा और अधिकार के हस्तांतरण के लिए औपचारिकताएं पीआईबी अनुमोदन के बाद की जाएंगी।

कोटेश्वर बांध का अपस्ट्रीम एवं जलाशय दृश्य

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन:

आपकी कंपनी ने संबंधित पणधारियों से परामर्श कर वीपीएचईपी सहित सभी भावी परियोजनाओं के लिए एक आकर्षक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की है। इस नीति में परियोजना से प्रभावित परिवारों की भूमि, मकानों अन्य संसाधनों तथा आजीविका के साधनों की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाता है। कंपनी ने प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र वाह्य एजेंसी को काम में लगाया है। परामर्श सेवाएं 24 माह की अवधि के लिए अवार्ड की गई हैं।

आपकी कंपनी ने टिहरी पावर कॉम्पलैक्स के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में बेंचमार्क स्थापित किया है। पुनर्वास पैकेज एवं पुनर्स्थापन कार्य के साथ–साथ निम्न अतिरिक्त उपायों को किया गया है–

- टिहरी जलाशय के रिम क्षेत्रों के आस–पास के लिए सड़क संपर्कता, जन सुविधाओं की पुनर्स्थापना, केबल कार तथा फेरी बोट का प्रबंध आदि सुविधा प्रदान की गई हैं।
- परियोजना प्रभावित लोगों के लिए सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत कई कल्याणकारी गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- परियोजना प्रभावित परिवारों के परिवादों के त्वरित एवं न्यायसंगत निपटारा हेतु परिवाद निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
- कंपनी ने अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन परिवाद पंजीकरण व्यवस्था भी प्रदान की है।

कोटेश्वर बांध का डाउनस्ट्रीम दृश्य

श्री आर.एस.टी. शाई, अ.एवं.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में माननीय मंत्री भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, भारत सरकार श्री अनंत गीते से मानव संसाधन क्रियाओं के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए

इंजीनियरिंग परामर्श

जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं अन्य सिविल कार्यों के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने अद्यतन डिजाइन साफ्टवेयर एवं अनुभवी डिजाइन विशेषज्ञों से लैस इंजीनियरिंग परामर्शी विभाग की स्थापना की है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए थे:

- पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के तहत छह लघु जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत क्षमता का अध्ययन तथा ई एंड एम अध्ययन।
- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) द्वारा सौंपे गए कटरा तथा श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के बीच के असुरक्षित क्षेत्रों के ढालों के स्थिरीकरण कार्यों के लिए डिजाइन तथा इंजीनियरिंग परामर्श कार्य।
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड राज्य की विभिन्न सड़कों के बीस पुराने भू–स्खलन क्षेत्रों की रक्षा के लिए परामर्श।

अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी ने ऋषिकेश में एक पूर्ण विकसित इन हाउस अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की है। वर्ष 2014–15 के दौरान अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्य इस प्रकार हैं:

- हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर –प्रायोगिक कार्य के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंकरीट का विकास।
- टिहरी जलाशय के आवाह क्षेत्र से सेडीमेंट यील्ड का आंकलन, जीएसआई माडलिंग एवं विश्लेषण।
- टिहरी जलाशय में सेडीमेंटेशन का गणितीय माडलिंग।
- टिहरी एवं केएचईपी के ईएम उपकरण की हालात की निगरानी।
- नमूनों के एक्सट्रैक्शन और रॉक व्यवहार की डिजिटल मूल्यांकन की सुविधा सहित जटिल भू–तकनीकी की प्रयोगशाला की स्थापना।
- टिहरी क्षेत्र के आस–पास और भूकंप निगरानी केंद्रों की स्थापना।
- टिहरी जलाशय में मिथेन गैस को मापना।
- टिहरी एचपीपी के वाल्वों का स्वदेशी विकास।
- केएचईपी के जल संवाहन प्रणाली के लिए सीएफडी मॉडलिंग।
- ग्रिड में गड़बड़ी के चलते परिवर्तनीय गति जल विद्युत संयंत्रों के गतिशील निष्पादन का विश्लेषण।

आपकी कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय का रु. 3.75 करोड़ रु. व्यय किया है जो वित्त वर्ष 2013–14 के लिए करोपरांत लाभ का 0.54% है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय न्यूनतम निर्धारित सीमा के 0.5% से अधिक है।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2015 का उत्सव

गुणवत्ता आश्वासन

आपकी कंपनी गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में निरंतर सुधार में विश्वास रखती है। कंपनी ने गुणवत्ता नीति, पर्यावरण नीति और पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति स्थापित किया है। कंपनी समग्रतः परियोजनाओं, उत्पादन केंद्रों और मुख्यालय सहित आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 प्रमाणित है।

पर्यावरण प्रबंधन

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी ने सतत विकास के लिए विभिन्न कार्यों को किया है। इस संबंध में किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

- इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से टिहरी – कोटेश्वर सड़क और चक्का–पेंदरास–अली हॉल्जेंट सड़क में किए गए ढलान संरक्षण कार्य। कोटेश्वर में जुरासी और पालम नाला का भी इंजीनियरिंग उपायों द्वारा उपचार किया गया।
- कोटेश्वर बांध परियोजना के जलाशय के चारों ओर बौने पौधों की प्रजातियों का पौधरोपण टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी के द्वारा किया जा रहा है।
- विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल गठित किया गया है।
- मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष निगरानी के रूप में लगाए गए हैं।
- शीत जल मत्स्य अनुसंधान(डीसीएफआर) निदेशालय, भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगया गया है।
- लोगों को जागरूक करने के लिए 05 जून, 2015 को ऋषिकेश में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जाने माने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश, टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट प्रथम चरण, कोटेश्वर एचईपी और वीपीएचईपी, टिहरी पीएसपी के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त किया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन

जल विद्युत का विकास करने वाली कंपनी के नाते आपकी कंपनी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर विशिष्ट और भौगोलिक स्थान विशिष्ट जोखिमों के अध्यधीन है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अपनाया है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस

मैनुअल में निर्माणाधीन तथा प्रचालनाधीन परियोजनाओं से संबंधित जोखिम की पहचान करने, जोखिम को नजरंदाज करने और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए विस्तृत तंत्र उपलब्ध करवाया गया है। ब्यौरा कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट **(अनुलग्नक– I)** में दिया गया है।

वर्ष 2014-15 के लिए श्री एस.के. बिस्वास निदेशक (कार्मिक), टीएचडीआईएल माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' (तृतीय) ग्रहण करते हुए

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी मानव संसाधन को ''सबसे बड़ी संपत्ति'' की रूप में महत्व देती है और इसे कंपनी में वर्तमान ऊंचाइयों तक लाने के लिए उनके ईमानदार योगदान हेतु अपनी कुशल बेहद अनुभवी, समर्पित और प्रेरित कार्यबल के लिए गर्व होता है।

आपकी कंपनी में संगठनात्मक विकास में एक सफल प्रणाली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मानव संसाधन को अधिकतम करने के साथ बड़ी व्यापार रणनीति के रूप में अन्य संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करती है। आपकी कंपनी ने गेट स्कोर–2015 और साथ ही अन्य बेहतर माध्यमों से इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, मास कम्यूनिकेशन आदि विभिन्न विषयों में 45 कार्यपालक प्रशिक्षुओं (ईटी) भर्ती की है।

नई भर्तियों के लिए मजबूत खाका, एक वर्ष के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम तैयार किया गया है, सर्वांगीण विकास के लिए मेंटर्स के मार्गदर्शन में आन–द–जॉब ट्रेनिंग और प्रतिष्ठित संस्थानों में क्लास रूम ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। आपकी कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु 47 वर्ष है और चरणबद्ध तरीके से युवा कार्यपालक प्रशिक्षुओं की भर्ती से आने वाले वर्षों में यह 44 वर्षों से नीचे आएगी।

31.03.2015 के अनुसार कंपनी के वर्तमान कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है–

कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार
788	116	1109

प्रशिक्षण एवं विकास

आपकी कंपनी में नवीनतम तकनीकी सुधारों तथा सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रथाओं के साथ तालमेल रखते हुए कर्मचारियों के ज्ञान आधार को अद्यतन करने के लिए उनको प्रशिक्षण तथा शिक्षण प्रदान कर लगातार कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ तकनीकी और व्यवहारिक सभी पहलुओं में निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है–

- परियोजना प्रबंधन
- अनुलग्नक प्रबंधन
- व्यावसायिक प्रशिक्षकों के रूप में कार्यपालको का प्रमाणन
- संज्ञानात्मक उन्नत भाषा प्रवीणता
- कार्यपालक विकास कार्यक्रम

आपकी कंपनी में इन हाउस संकाय सदस्यों का विकास किया है जिनको विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से प्रशिक्षित किया जाता है। नियमित इन हाउस कार्यक्रमों का हमारे ऋषिकेश के मानव संसाधन केंद्र में आयोजन किया जा रहा है।

5500 मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले कुल 6156 मानव दिवस का प्रशिक्षण (तकनीकी क्षमता के संवर्धन के लिए समर्पित 54%) 1874 कर्मचारियों को दिया गया। मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के 60 कार्यपालक अधिकारियों को प्रतिष्ठित आईआईएम के लिए भेजा गया है। वर्ष के दौरान औसत प्रशिक्षण मानव दिवस प्रति कर्मचारी 3.28 आता है।

आपकी कंपनी ने मैसर्स क्रिसिल के लिए ''कौशल अंतर विश्लेषण और प्रारंभिक नैदानिक अध्ययन'' के लिए परामर्श सेवाएं सौंपी गई है। परामर्श का कार्य प्रगति पर है। कंपनी को मानव संसाधन के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए मान्यता के रूप में 'मानव संसाधन आचरण के लिए स्कोप सराहनीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

टीएचडीसीआईएल के कॉफी टेबल बुक का विमोचन

कर्मचारी संबंध

आपकी कंपनी ने बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल करने के लिए यूनियनों, कामगारों और अन्य हितधारकों के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण की परंपरा को जारी रखा है। महिलाओं के परिवादों का समाधान करने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है।

वर्ष के दौरान सभी टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं/स्टेशनों/इकाइयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहे। इस अवधि के दौरान किसी प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी की रिपोर्ट नहीं मिली। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित कीं जिनमें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन तथा अंतर पीएसयू खेलकूद शामिल थे। कर्मचारियों के तनाव को कम करने तथा उनके बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए कई अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को भी आयोजित किया गया था।

अ.जा./आ.ज.जा तथा निःशक्त व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रु.प से निःशक्त उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों को अनुपालन करने का प्रयास करती है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और सफल कार्यान्वयन के लिए जोरदार प्रयास किया है। वर्ष के दौरान राजभाषा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को नीचे दिया गया है–

- वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं में कई हिंदी कार्यशालाएं तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- सभी कार्यालय आदेश, प्रपत्र, परिपत्र और विज्ञापन द्विभाषी जारी किए गए।
- राजभाषा अनुभाग द्वारा 26 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 553 कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।
- वर्ष 2014 के दौरान ''हिंदी काव्य पाठ'' आयोजित किया गया था।
- हिंदी की गृह पत्रिका 'पहल' का प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार की ''इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना'' के तहत प्रथम पुरस्कार तथा वर्ष 2013–14 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है जो राजभाषा पुरस्कारों की श्रेणी में भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के

'स्वच्छ भारत अभियान' भारत सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद बधाई समारोह का सामूहिक फोटोग्राफ

सतर्कता

आपकी कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए मौजूदा प्रणालियों तथा प्रचलित प्रथाओं की समीक्षा की गई है तथा निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए एहतियात के तौर पर ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू कर दिया गया है। निम्नलिखित उपायों को निवारक सतर्कता तंत्र में कार्य करने के लिए अपनाया गया है। कंपनी में कारपोरेट कार्यालय स्तर पर सीवीओ तथा यूनिट/परियोजना स्तर पर सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है।

नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने ठोस प्रयास किए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर वे सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के अपीलीय प्राधिकारी, मुख्य लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के ब्यौरे तथा सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने संबंधित सभी प्रपत्र, टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 140 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई थीं। वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 15 अपीलें प्राप्त की गई थीं और जांच पड़ताल के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन सभी अपीलों का निपटान किया जा चुका है। वर्ष के दौरान कोई भी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के पास दायर नहीं की गई।

- ई–टेंडरिंग में भाग लेने के लिए वेंडरों को आनलाइन पंजीकरण प्रणाली प्रदान करना। अवार्ड की गई संविदाओं को प्रत्येक माह अधिकृत वेबसाइट में प्रकाशित कर रहे हैं। ई–भुगतान पद्धति पहले ही शुरु. की जा चुकी है।
- वर्ष के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली प्रचालन में है।
- 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2014 मनाया गया। इस अवसर पर कंपनी ने

टीएचडीसीआईएल द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता माननीय मंत्री विद्युत (इंचार्ज), श्री पियूष गोयल से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल के 28वीं स्थापना दिवस का उत्सव

कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता संबंधी परिपत्र/दिशानिर्देशों का एक सार संग्रह प्रकाशित किया है।

- निवारक सतर्कता और आरटीआई अधिनियम पर मध्यम स्तर के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- सतर्कता विभाग को इसकी संरचना और तकनीकी, अनुशासनात्मक, भ्रष्टाचार विरोधी, जांच–पड़ताल एवं स्थापना और निवारात्मक सतर्कता जैसे विभिन्न शाखाओं के गठन के साथ सुधार कर और मजबूत किया गया है।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षण का वातावरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार ''आंतरिक शिकायत समितियों'' का गठन किया है। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (वूमेन इन पब्लिक सेक्टर) समिति का भी गठन किया है।

केंद्रीय संचार

केंद्रीय संचार परियोजनाओं/यूनिटों/संपर्क कार्यालयों के बीच खड़ी, क्षैतिज और तिरछी सूचनाओं के आदान–प्रदान की सुविधा के रूप में एक प्रमुख प्रबंधन प्रकार्य के रूप में कार्यरत है। इनके अतिरिक्त बाहरी जनता, मीडिया और प्रमुख स्टेकहोल्डरों को भी सूचनाएं भलीभांति दी गयी हैं। कंपनी के पास बाहरी स्टेकहोल्डरों के साथ विचारों के अदान प्रदान के लिए एक प्रभावी संचार विभाग है। प्रभावी केंद्रीय संचार के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं–

- निगम के आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ एवं ट्विटर खाते शुरू किए गए।
- प्रिंट मीडिया में महत्वपूर्ण खबरों से युक्त डेली न्यूज कतरनों को अब वरिष्ठ अधिकारियों को ई–मेल पर भी अग्रेषित किया जाता है ताकि उन्हें पावर सेक्टर से संबंधित खबरों के बारे में सूचित किया जा सके।
- राष्ट्रीय एवं वर्नाकुलर प्रेस में कवर कंपनी की सभी प्रमुख घटनाएं ।
- कई प्रकाशन जैसे गृह पत्रिका 'गंगावतरणम' का त्रैमासिक अंक, टीएचडीसीआईएल कॉफी टेबल बुक, टीएचडीसी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2013–14, टीएचडीसी हाइड्रोटैक, आईआईटीएफ–2014 के लिए टीएचडीसी विवरणिकाएं आदि प्रकाशित किए गए।

कंपनी को उत्तराखंड में हुई जून, 2013 में प्राकृतिक आपदा के दौरान आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिल्ली में जून, 2014 को लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा ''सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रबंधन एवं मानवीय राहत कार्य अवार्ड'' से सम्मानित किया गया था।

कारपोरेट सुशासन

- **कंपनी का सुशासन दृष्टिकोण**

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013/डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अच्छे, कारपोरेट सुशासन

टीएचडीसीआईएल द्वारा आयोजित 'कवि सम्मेलन'

की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। असूचीबद्ध होने के बावजूद आपकी कंपनी सूचीबद्ध करार के खंड 49 की आवश्यकताओं का अनुपालन भी कर रही है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समय से और संतुलित प्रकटन, मूल्यवर्धन के लिए बोर्ड की संरचना, बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियां, वित्तीय रिपोर्टिंग करने में निष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, पणधारियों के अधिकार और हित, अनुपालन आदि पर आधारित है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्य और विस्तार क्षेत्र सहित कारपोरेट सुशासन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ **अनुलग्नक -I** के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता विकास

आपकी कंपनी एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में समाज और चिह्नित समुदायों के उत्थान के लिए उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए कंपनी ने बीएलसी (बोर्ड स्तरीय उप–समिति) और बीबीएलसी (बोर्ड स्तर के नीचे समिति) का गठन किया है। कंपनी ने समाज के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता तथा मददगार हाथ को सच्ची आत्मा से अपने दायित्व के निर्वहन के लिए बढ़ाया है।

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, इसके नियमों और अनुसूचियों,डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति का अनुपालन कर रही हैं। 5 लाख रु. या उससे अधिक के सभी सीएसआर कार्यो के लिए विशेष एजेंसियों द्वारा प्रभाव आंकलन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर पर 29.09 करोड़ रु. (2% की न्यूनतम निर्धारित सीमा के विरुद्ध पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 4.22%) व्यय किया गया। सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

प्रबंधन की विचार –विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार विमर्श और विश्लेषण के बारे में अलग से एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** के रूप में दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

रिपोर्ट की सूचना **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

टीएचडीसीआईएल महिला बैडमिंटन टीम, टीएचडीसी द्वारा आयोजित अंतर केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की बैडमिंटन टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार श्री एस के बिस्वास, निदेशक(कार्मिक) से प्राप्त करते हुए

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छे कारपोरेट सुशासन प्रैक्टिस के भाग के रूप में व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट पर अनुलग्नक–V के रूप में अलग से एक खंड दिया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के खंड 'ग' के अनुसार आपके निदेशकों का कथन इस प्रकार है:

(i) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है तथा जहां कहीं भी उल्लेखनीय विचलन हुआ है वहां उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति की कंपनी के मामलों के बारे में सत्य और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके तथा कंपनी के लाभ और हानि लेखे की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(iv) ये लेखे चालू कारोबार आधार पर तैयार किए गए हैं।

(v) कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और यह प्रणाली पर्याप्त थी।

विनिवेश प्रक्रिया

आपकी कंपनी भारत सरकार की शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत विनिवेश करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। विनिवेश विभाग (डीओडी) द्वारा अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। कंपनी ने एमओए तथा एओए में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है जो विनिवेश के लिए पूर्व शर्त है।

निदेशक मंडल

पिछली आम सभा के बाद से श्री राजीव शेखर साहू, स्वतंत्र निदेशक, श्री ओ.पी. गहरोत्रा, स्वतंत्र निदेशक, श्री एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक और श्री राजपाल, भारत सरकार के नामित निदेशक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड निदेशक पद से हट गए हैं।

श्रीमती अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को श्री राजपाल के स्थान पर भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आईआईएम, लखनऊ (नोमका कैम्पस) द्वारा आयोजित अधिशासियों को प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में प्रमाणित करने का कार्यक्रम

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार कानपुर तथा मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार नई दिल्ली को कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014–15 के लिए क्रमशः कोटेश्वर इकाई और टिहरी इकाई के लागत और लेखाकार रिकार्डों की लेखा परीक्षा– करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के दिनांक 30.07.2014 के पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई / सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी–एच (I)/182 द्वारा मैसर्स भाटिया एंड भाटिया, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 12 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110 011 को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथावश्यक सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के नियतन के लिए एक प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए वार्षिक आगामी आम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

टिहरी में टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर का विहंगम दृश्य

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी की लेखाओं के संबंध में संपूर्ण अनापत्तिजनक (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है। इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा। नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (7) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में 'शून्य टिप्पणियां' दी हैं तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2014–15 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव है, ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुपालन किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VI** के रूप में संलग्न है।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेषकर विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तराखंड सरकार तथा उनके विभिन्न विभागों विशेषकर टिहरी परियोजना के निदेशक पुनर्वास से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक गण इस अवसर पर सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य सुझाव के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक गण कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समय से दी गई सहायता और संरक्षण देकर निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक गण, कंपनी द्वारा विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अनथक प्रयासों तथा उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर.एस.टी.शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

दिनांक : 22.09.2015
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विशेषताएं

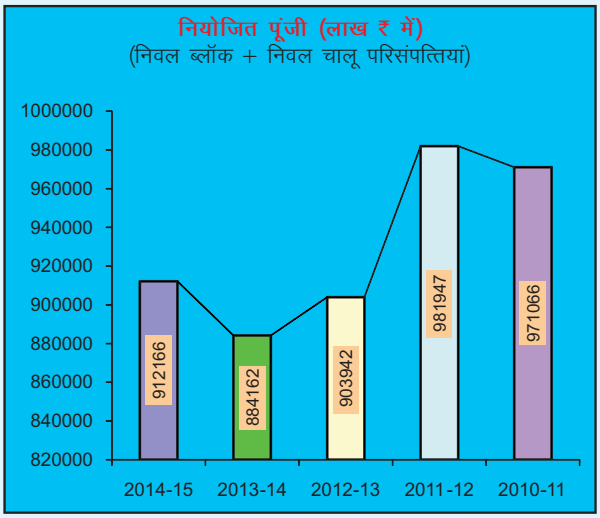
नियोजित पूंजी (लाख ₹ में)
(निवल ब्लॉक + निवल चालू परिसंपत्तियां)
1000000
980000
960000
940000
920000
900000
880000
860000
840000
820000
912166
884162
903942
981947
971066
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

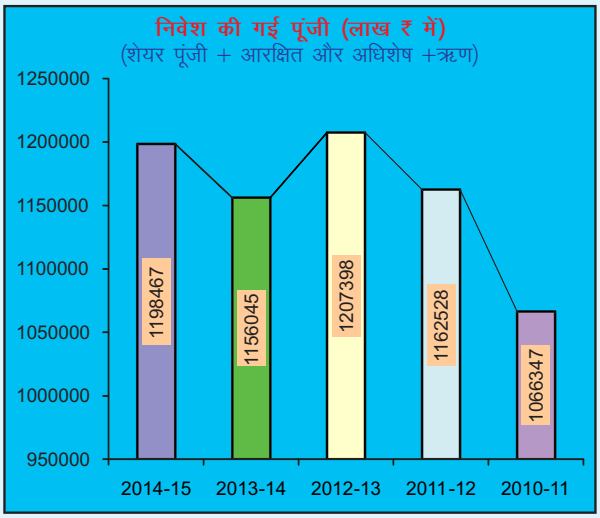
निवेश की गई पूंजी (लाख ₹ में)
(शेयर पूंजी + आरक्षित और अधिशेष +ऋण)
1250000
1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
950000
1198467
1156045
1207398
1162528
1066347
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

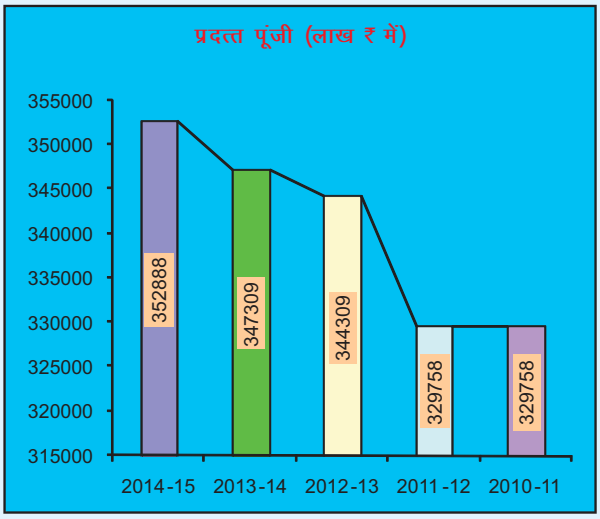
प्रदत्त पूंजी (लाख ₹ में)
355000
350000
345000
340000
335000
330000
325000
320000
315000
352888
347309
344309
329758
329758
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

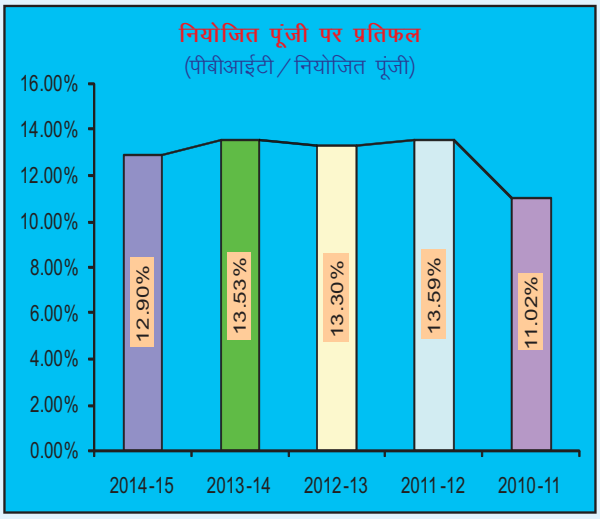
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
(पीबीआईटी / नियोजित पूंजी)
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
12.90%
13.53%
13.30%
13.59%
11.02%
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

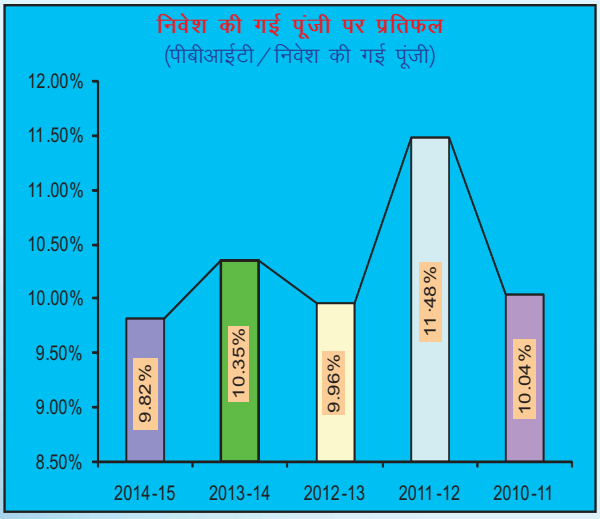
निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल
(पीबीआईटी / निवेश की गई पूंजी)
12.00%
11.50%
11.00%
10.50%
10.00%
9.50%
9.00%
8.50%
9.82%
10.35%
9.96%
11.48%
10.04%
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

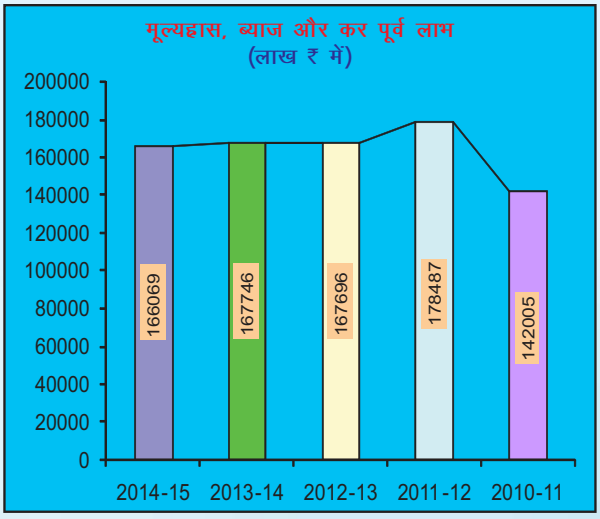
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ
(लाख ₹ में)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
166069
167746
167696
178487
142005
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

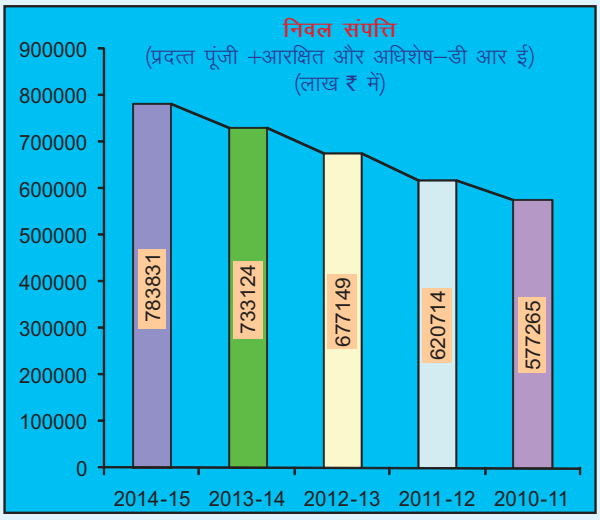
निवल संपत्ति
(प्रदत्त पूंजी +आरक्षित और अधिशेष–डी आर ई)
(लाख ₹ में)
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
783831
733124
677149
620714
577265
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

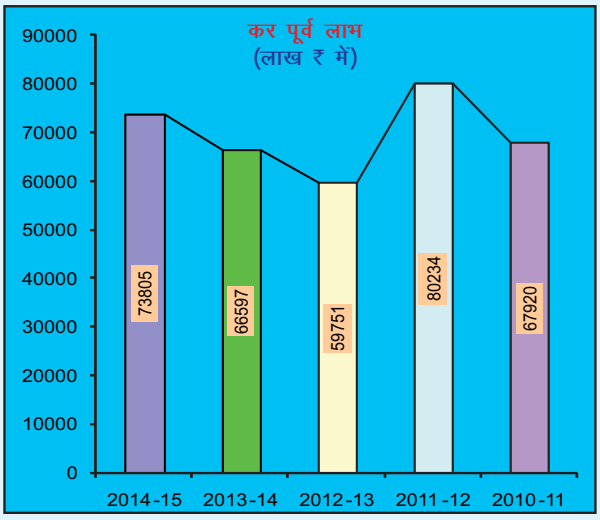
कर पूर्व लाभ
(लाख ₹ में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
73805
66597
59751
80234
67920
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

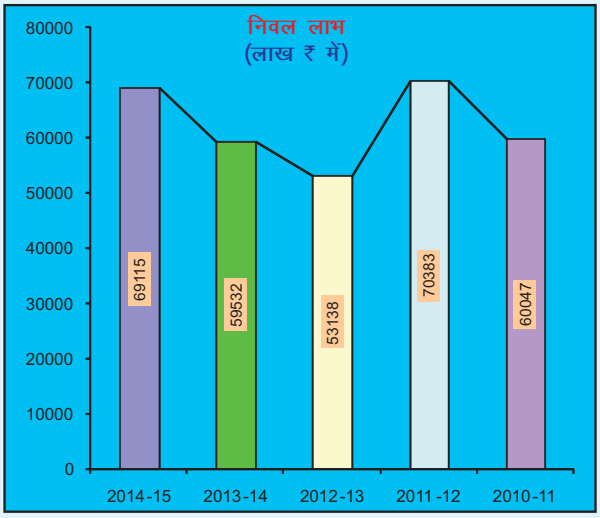
निवल लाभ
(लाख ₹ में)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
69115
59532
53138
70383
60047
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

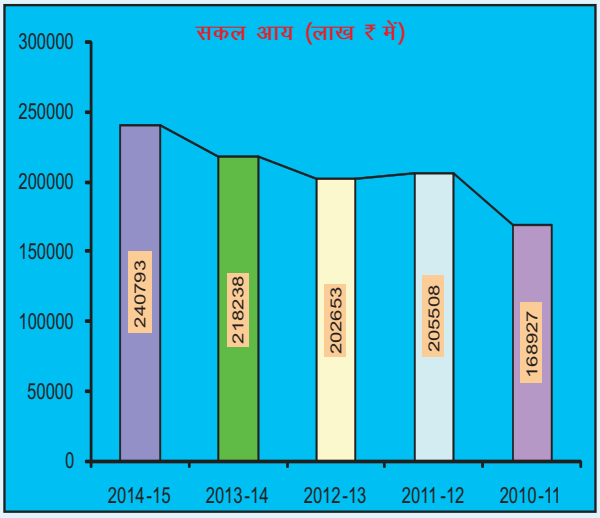
सकल आय (लाख ₹ में)
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
240793
218238
202653
205508
168927
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

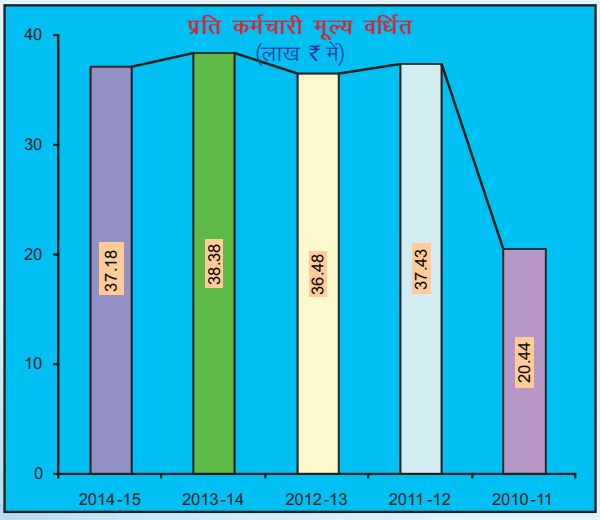
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित
(लाख ₹ में)
40
30
20
10
0
37.18
38.38
36.48
37.43
20.44
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,

आपकी कंपनी स्थायी आधार पर स्टेकहोल्डर्स के मूल्य एवं हित को बढ़ाने और अपने स्टेकहोल्डर्स में भरोसे और विश्वास का माहौल बनाने के लिए एक अच्छी कारपोरेट सुशासन रीतियों, नैतिकता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही में विश्वास रखती है। टीएचडीसीआईएल में अपने कार्यो के संचालन में पारदर्शी तरीकों से नीतियों, आंतरिक और बाह्य नियमों के ढांचे के भीतर करने पर विशेष जोर दिया जाता है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसकी गतिविधियों को विभिन्न बाह्य प्राधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) और संसदीय समितियों आदि के द्वारा समीक्षा की जाती है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा कंपनी को वर्ष 2013–14 के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए अनुपालन रिपोर्ट डीपीई को प्रस्तुत की गई है जो समीक्षा के तहत है।

कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन संबंधी विचारधारा निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित हैं:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता।
- निदेशक मंडल की समुचित संरचना, आकार, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए विविध अनुभव और प्रतिबद्धता।
- अच्छी तरह से बनायी गई तथा साबित की गई मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं।
- जोखिम प्रबंधन।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा।
- स्टेकहोल्डर्स के लिए परिचालन और वित्तीय मामलों पर सभी सामग्री सूचना का समय से और संतुलित प्रकटन।
- कानूनों, नियमों और विनियमों का पूरी तरह से पालन और अनुपालन।
- प्रबंधन के निष्पादन और जवाबदेही माप मानकों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करना।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार एवं संरचना

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी। आपकी कंपनी के बोर्ड में प्रकार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों सहित कार्यपालक और गैर–कार्यपालक निदेशकगण शामिल हैं।

बोर्ड की संरचना नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	पदनाम	निदेशकों की संख्या
1.	कार्यकारी प्रकार्यात्मक/ पूर्णकालिक निदेशक	4
2.	सरकार द्वारा नामित गैर–कार्यपालक निदेशक	3
3.	स्वतंत्र गैर–कार्यपालक निदेशक	3

31 मार्च, 2015 को कंपनी के निदेशक मंडल में सात निदेशक शामिल हैं, जिसमें से अध्यक्ष, एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित तथा दो निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित सहित चार निदेशक प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल हैं।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

- पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।
- सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से काम कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग का कार्मिक न रह जाने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं। बैठक की तारीख से संबंधित ब्यौरा **तालिका–1** में दिया गया है:

तालिका 1: वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	बोर्ड की बैठकों की तारीख
1	26 जून, 2014
2	26 अगस्त, 2014
3	27 सितम्बर, 2014
4	17 अक्टूबर, 2014
5	13 फरवरी, 2015

वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद / समिति के सदस्यों की संख्या से संबंधित ब्यौरा **तालिका–2** में दिया गया है:

तालिका 2: निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति संबंधी स्थितियां

क्र. सं.	निदेशक गण	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित थे	पिछली वार्षिक आम सभा की उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1	श्री आर.एस.टी.शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	उपस्थित	2	1	1
2	श्री डी.वी.सिंह निदेशक (तकनीकी)	5	उपस्थित	–	–	2
3	श्री एस.के.बिस्वास निदेशक (कार्मिक)	5	उपस्थित	–	–	–
4	श्री श्रीधर पात्रा निदेशक (वित्त)	5	उपस्थित		–	–
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
5	श्री राज पाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	5	उपस्थित	1	–	1
6	श्री दीपक सिंघल, प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार (दिनांक 26.08.2014 से)	0	उपस्थित नहीं	1	–	–
7	श्री संजय अग्रवाल, प्रधान सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार (दिनांक 26.08.2014 से)	0	उपस्थित नहीं	2	4	–
	स्वतंत्र निदेशक					
8	श्री ओ.पी. गहरोत्रा पूर्व–अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	5	उपस्थित	7	–	–
9	श्री राजीब शेखर साहू, प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर	3	उपस्थित	5	–	–
10	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, उप कुलपति(कार्यवाहक), जेआईआईटी, नोएडा	4	उपस्थित	शून्य	–	–

2.5 स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक एवं प्रकटन

सरकारी कंपनी होने के नाते प्रकार्यात्मक निदेशक सरकार द्वारा निर्णित समय सीमा और पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाते हैं। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए @20,000 रु. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का ब्यौरा

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (रु. में)				कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक आम सभा	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	सीएसआर एवं सततता विकास समिति	
प्रो. (डॉ.) एस सी सक्सेना	80,000	80,000	20,000	40,000	2,20,000
श्री ओ.पी. गहरोत्रा	1,00,000	80,000	20,000	60,000	2,60,000
श्री राजीब शेखर साहू	60,000	60000	शून्य	20,000	1,40,000

तलिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राशि लाख ₹ में

निदेशक गण	पदनाम	वेतन/भत्ते	प्रसुविधाएं	निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी)	सकल योग
श्री आर.एस.टी.शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	33.16	11.56	18.09	62.81
श्री डी.वी.सिंह	निदेशक(तकनीकी)	27.65	14.24	11.12	53.01
श्री एस.के.बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)	27.28	9.45	11.12	47.85
श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक(वित्त)	27.76	8.00	11.12	46.88

(1)*भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का अंशदान, चिकित्सा पर व्यय, अवकाश नकदीकरण, अन्य व्यय एवं सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं।

(2) उक्त दर्शायी गई धनराशि में प्रावधान भी शामिल हैं।

2.6 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों की प्रत्येक कंपनी को पूर्णकालिक प्रबंधकीय कार्मिक रखना होगा। तदनुसार कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए हैं:

1. श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री श्रीधर पात्रा, मुख्य वित्त अधिकारी
3. श्री एस.क्यू. अहमद, कंपनी सचिव

2.7 बोर्ड की बैठकों की प्रकिया:

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों के लिए आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालय मानकों का अनुसरण किया है।

निम्नलिखित कार्यसूचियों को बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखा जाता है:

- कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- सभी कानूनों का अनुपालन।
- संबंधित पक्षकारों का प्रकटन।
- जोखिम प्रबंधन की तिमाही समीक्षा।
- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य नवीनतम जानकारी।
- प्रमुख संविदाओं को अवार्ड करना।
- चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिसमें वे महत्वपूर्ण मुद्दे तथा क्षेत्र शामिल हैं जिन पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशकों द्वारा ब्याज का प्रकटन।
- संयुक्त उद्यम और साझा करार।
- दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों को लेना तथा अन्य वित्तपोषण मुद्दे।
- अंतरिम लाभांश का भुगतान तथा अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
- मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा आदि जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति
ii) पारिश्रमिक समिति
iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

सभी स्वतंत्र निदेशक इन समितियों के लिए कार्य करते हैं ओर उनमें से एक बैठक की अध्यक्षता करता है। कंपनी सचिव, बोर्ड की सभी उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होता हैं।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.2 और 4.3 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

दिनांक 09.11.2014 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका 5** में दी गई है:

तालिका 5: लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	**प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना**	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	**श्री ओ.पी. गहरोत्रा**	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	**श्री राजीब शेखर साहू**	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समित के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन की निगरानी करना ताकि वित्तीय विवरणों का सत्य और निष्पक्ष होना सुनिश्चित किया जा सके।
- बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्कों तथा अन्य सेवाओं संबंधी शुल्कों के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी के वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले मामले;

(ख) लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों तथा उसके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;

(घ) लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उद्भूत होने वाले समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;

(ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) किसी भी संबद्ध पक्षकार के लेन–देनों का प्रकटन;

(छ) लेखापरीक्षा से जुड़े मामले जैसे कि :

- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग की अध्यक्षता करने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता तथा स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, संरचना कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारम्बारता सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श तथा कोई चिंतनीय क्षेत्र अभिनिश्चित करने के लिए लेखा–परीक्षा के बाद विचार–विमर्श।

(ज) शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों के कारण, यदि कोई हो, का पता लगाना।

(झ) उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और विश्वसनीयता।

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों से संबंधित ब्यौरे **तालिका 6** में दिए गए हैं:

तलिका 6: वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख
1	26 जून, 2014
2	26 अगस्त, 2014
3	27 सितम्बर, 2014
4	17 अक्टूबर, 2014

वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की सं.	भाग ली गई बैठकों की सं.
1	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्रत निदेशक	4	4
2	श्री ओ.पी. गहरोत्रा, स्वतंत्र निदेशक	4	4
3	श्री राजीब शेखर साहू, स्वतंत्र निदेशक	4	3

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखापरीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया। समय–समय पर अनेक अन्य अधिकारियों तथा लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की सहायता के लिए बुलाया गया था।

3.2 पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया था।

पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी **तालिका 8** में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	डा. (प्रो.) एस.सी.सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3.	श्री राजीब शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक– सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.2.1 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 27 सितंबर, 2014 को आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्य गण शामिल हुए थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य		उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1.	डा. (प्रो.) एस.सी.सक्सेना	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	सदस्य	1	1
3.	श्री राजीब शेखर साहू	सदस्य	1	0

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा नई सीएसआर तथा सततता नीति– 2014 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया हैं।

3.3.1 संरचना

दिनांक 15.03.2015 के अनुसार सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना **तालिका 10** में दी गई है।

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2	श्री राज पाल	नामित निदेशक, भारत सरकार– सदस्य
3	श्री डी.वी. सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य

सीएसआर तथा सततता के महाप्रबंधक, नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2014–15 में सीएसआर तथा सततता की तीन बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों का ब्यौरा **तालिका 11** में दिया गया है।

तालिका 11: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति:

क्र. सं.	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	26 जून, 2014	4	4
2	27 सितम्बर, 2014	4	3
3	27 दिसम्बर, 2014	3	3

निदेशक (वित्त) ने विशिष्ट आमंत्रिती के रुप में बैठक में भाग लिया।

सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा एसडी समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर : एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य आदि जिसे आवश्यक समझा जाए।

टिप्पणी: स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति वर्तमान में मोजूद नहीं है। सरकार को नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें **तालिका 12** में दर्शाया गया है।

तालिका 12: पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	27 सितम्बर, 2014 को आयोजित 26वीं वार्षिक आम सभा	25 सितम्बर, 2013 को आयोजित 25वीं वार्षिक आम सभा	27 सितम्बर, 2012 को आयोजित 24वीं वार्षिक आम सभा
समय	सायं 05.00 बजे	अपराह्न 12.30 बजे	सायं 6.00 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं.20 सेक्टर नं. 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.)
विशेष कार्य व्यवहार	• वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • प्रदत्त पूंजी से अधिक तथा स्वतंत्र आरक्षित से अधिक बोर्ड को ऋण लेने की शक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।	• शून्य	• शून्य

5. प्रकटन

5.1 सम्बद्ध पक्षकारों से लेन–देन प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण प्रकृति का कार्य लेन–देन नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हित के साथ बड़ा अंतर्विरोध हो। संबंधित पक्षकारों के प्रकटन का ब्यौरा एएस–18 के अनुसार लेखा पर टिप्पणी में शामिल किया गया है।

6. सचेतक नीति

असूचीबद्ध कंपनी होने के नाते टीएचडीसीआईएल के बोर्ड के पास कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित सचेतक नीति अपनाई गई है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या आचरण अथवा आचार नीति संबंधी कंपनी के सामान्य दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी से प्रबंधन को अवगत करा सकें।

- कर्मचारियों को उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे मुलाकात करने का प्रावधान भी किया गया है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सचेतक नीति की प्रति कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. परिवाद निवारण तंत्र:

उत्पादकता और संगठन की दक्षता में सुधार तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के चलते कर्मचारियों के परिवाद का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिनांक 05.09.1985 के डीपीई दिशानिर्देश के अनुरूप एक परिवाद निवारण तंत्र गठित किया गया है।

इस योजना में सभी कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर हों, सहित बोर्ड स्तर से एक स्तर नीचे, जो निगम के नियमित रोल पर हैं, शामिल हैं।

इसमें निम्नलिखित को छोड़कर, अवकाश, वेतनवृद्धि, नियमों के तहत प्रसुविधाओं के गैर–विस्तार, सेवा नियमों की व्याख्या शामिल है :

क) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन / गोपनीय रिपोर्ट
ख) डीपीसी के कार्यवृत्त निर्णयों सहित, पदोन्नतियां
ग) जहाँ परिवाद एक व्यक्ति विशेष कर्मचारी से संबंधित नहीं है।
घ) कर्मचारी के मुक्ति या बर्खास्तगी से उत्पन्न परिवाद।
ड.) चयन / आमेलन / इंडक्शन से संबंधित परिवाद।
च) अदालत में विचाराधीन मामले।
छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश और पहले से पारित सकारण आदेश के अनुपालन के तहत विधिवत विचाराधीन मामले।

शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का निम्नानुसार गठन किया गया है:

1. श्री आर.एस. मेहरोत्रा, महाप्रबंधक (टी.सी), टिहरी	– अध्यक्ष
2. श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस.पी.), कौशाम्बी	– सदस्य
3. श्री पी.के. अग्रवाल, अपर महाप्रबंधक (प्रभारी), कोटेश्वर	– सदस्य
4. श्री के.एस. पुण्डीर, वरिष्ठ प्रबंधक (विधि), ऋषिकेश	– सचिव

वर्ष 2014–15 के दौरान रिकार्ड के अनुसार प्राप्त परिवादों की संख्या शून्य है।

8. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी में विधिवत परिभाषित जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम मैनुअल के अनुसार टीएचडीसीआईएल के सम्पूर्ण प्रचालनों, जिसमें विभिन्न जोखिमों, जैसे वित्तीय, तकनीकी तथा व्यापारिक जोखिमों की रिकार्डिंग, नियंत्रण तथा निगरानी शामिल हैं, की व्यापारिक प्रक्रिया के अभिन्न भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया है।

9. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है:

- रिकार्डों के उचित संरक्षण तथा भंडारण को सुकर बनाना।
- रिकार्डों को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने हेतु सरल बनाना।
- प्रारंभिक स्तर पर रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- समय से छांटने के लिए रिकार्डों को चिह्नित करना ताकि रिकार्डों के रख–रखाव की लागत को इष्टतम किया जा सके।
- रिकार्डों को बनाए रखने के लिए सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करना।
- कार्यालय स्थान के उपयोग को इष्टतम करना इत्यादि।

उपरोक्त के अनुपालन में कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है। फाइलों/दस्तावेजों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उचित कम्प्यूटरीकृत कोडिंग के साथ अभिलेखों को उपलब्ध रैक/ऑप्टीमाइजर्स में रखने हेतु वर्गीकरण कार्य किया गया है। वित्त वर्ष 2014–15 में लगभग 6000 फाइलें/दस्तावेज विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए तथा उन्हें विभिन्न श्रेणी में रखा गया।

10. संचार के साधन– प्राधिकृत वेबसाइट

कंपनी ने प्रकाशित सामग्री अर्थात वार्षिक रिपोर्ट, गृह पत्रिका, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से प्रभावी संचार प्रणाली को अपनाया है। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध सामग्री युक्त अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी सामग्री की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। वेबसाइट को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। अधिकारिक वेबसाइट www.thdc.gov.in में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की प्रोफाइल, अभिदृष्टि, कंपनी के मिशन, संपर्क नंबर।
- निदेशक मंडल तथा बोर्ड उप–समितियां।
- संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- कंपनी का निष्पादन तथा वार्षिक रिपोर्ट।
- प्रमुख परियोजनाएं तथा इनकी स्थिति।
- अद्यतन घटनाएं, फोटोग्राफ, सी.एस.आर. पहल।
- कंपनी की विभिन्न नीतियां और मैनुअल।
- कर्मचारी लॉगइन सहित इंटरनेट पर कर्मचारी से संबंधित सूचना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी आदि।

11. भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी, सरकारी पीएसयू होने के नाते भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देता है। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत का नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस लेखापरीक्षा के परिणामों के बारे में संसद के दोनों सदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी दी है।

12. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम

व्यावसायिक, नैतिकता, सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करेगा।

13. निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों और निगम के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन के संबंध में वार्षिक अभिवचन प्राप्त की है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।'

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

14. कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र

पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201

उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए है:

कंपनी सचिव	श्री एस.क्यू. अहमद
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135-2439309, फैक्स - 0135-2439442
ई–मेल	thdccs@yahoo.co.in
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस.पी)/ निदेशक, लोक शिकायत
संपर्क फैक्स नं.	0120-2776490 0120-2776433
ई–मेल	rnsingh@thdc.gov.in

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

कारपोरेट सुशासन के संबंध में अनुपालन प्रमाण पत्र -वित्त वर्ष 2014-15

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढ़वाल,
टिहरी–249001

1. मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') (सीआईएन. U45203UR1988GOI009822 द्वारा मई, 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है।

2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थीं। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति।

3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का नीचे दी गई सीमाओं को छोड़कर अनुपालन किया है।

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थीं।

   ख) स्वतंत्र निदेशकों के हट जाने के बाद से लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा अन्य समितियां कार्यशील नहीं थीं।

4. आगे हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह./-
(पी. एस. आर. मूर्ति)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 अगस्त, 2015

178 आरपीएस फ़्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाइलः 919816010286: दूरभाषः 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सततता की रिपोर्ट

टिहरी परियोजना क्षेत्र के लिए एम्बूलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए श्री डी.वी.सिंह निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक) और सीएसआर टीएचडीसीआईएल की टीम

1.0 कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम, 2013, इसके नियमों और अनुसूचियों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के द्वारा अनुमोदित है। कंपनी मुख्य रूप से प्रचालन केंद्रों के आस–पड़ोस के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों और अन्य स्टेकहोल्डरों पर विशेष ध्यान देने के साथ सतत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ सीएसआर संव्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है। परामर्श और भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से करने के लिए संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ उचित भागीदारी भी बनाई गई है। कंपनी की सीएसआर गतिविधि महाप्रबंधक (सामाजिक और पर्यावरण) के नेतृत्व में प्रशिक्षित एवं समर्पित टीम के सदस्यों के साथ संचालित जा रही है।

परियोजना नियोजन

सीएसआर और सततता योजनाएं, कंपनी की व्यापारिक योजनाओं एवं रणनीतियों के साथ एकीकृत कर रणनीतिबद्ध तरीके से बनाई गई हैं। सीएसआर गतिविधियां परियोजना मोड में संचालित की गई हैं। गतिविधियों की पहले से ही अच्छी प्रकार से योजना बनाई गई है, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व आंकलन कर विभिन्न लक्ष्य निश्चित किए गए हैं और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि रखी गई है। आसान कार्यान्वयन के लिए लंबी अवधि की सीएसआर योजनाओं को मध्यम अवधि और लघु अवधि की योजनाओं में विभाजित किया गया है।

सीएसआर परियोजनाएं / गतिविधियां

सीएसआर गतिविधियों की योजना कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार बनाई गई है। सीएसआर योजना मुख्य रूप से परियोजना के आस–पड़ोस के क्षेत्रों और कंपनी के अन्य स्टेकहोल्डरों के व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में सतत सामुदायिक विकास के मुद्दों का समाधान करती है। प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में शामिल हैं–

- निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं डिस्पेंसरियों के संचालन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना
- सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत शौचालयों का निर्माण।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देना।
- परियोजना क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।
- प्रभावित क्षेत्र की आबादी में स्थानीय आईटीआई की सहायता सहित रोजगार सृजन करने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण।

- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और जीव रक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना।
- परियोजना के आसपास के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आधारित समग्र विकास।
- महिला सशक्तिकरण आदि।

विस्तृत सीएसआर गतिविधियां **परिशिष्ट –II** में दी गई हैं।

कार्यान्वयन तंत्र

परियोजनाएं कंपनी प्रायोजित गैर–सरकारी संगठन यानि, सेवा– टीएचडीसी एवं सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं।

निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन

सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी सीएसआर विभाग द्वारा की जाती है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की प्रगति रिपोर्टें नियमित आधार पर बोर्ड स्तर के नीचे की सीएसआर समिति (बीबीएलसी) और बोर्ड स्तर, की सीएसआर समिति (बीएलसी) के समक्ष रखी जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर सीएसआर गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करता है। 5.0 लाख रु. या उससे अधिक की सीएसआर परियोजनाओं का स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों/ विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रभाव आंकलन के आधार पर भावी सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाई जाती है।

सीएसआर बजट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पिछले लगातार तीन वर्षों के वार्षिक शुद्ध लाभ के औसत का न्यूनतम 2 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खर्च नहीं की गई राशि अगले वर्ष अग्रेषित की जाती है।

सीएसआर परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा

कार्यान्वयन एजेंसियों सेवा–टीएचडीसी, टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) के खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा संबंधित सोसाइटियों के उप–नियमों के अनुसार प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायी जाती है।

2.0 सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) एवं बोर्ड स्तर की समिति (बीएलसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन किया है जिसके सदस्य स्वतंत्र निदेशकों में से तथा सीएसआर के निदेशक (प्रभारी) होते हैं। बीएलसी का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक है। वार्षिक सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा, कार्यान्वयन तंत्र आदि पर विचार करने के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की नियमित बैठकें बुलाई जाती हैं।

इसके अलावा, सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोर्ड स्तर के नीचे की सीएसआर समिति (बीबीएलसी) का भी गठन किया गया है जिसके सदस्य कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ होते हैं।

3.0	गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	688.60 करोड़ रु.
4.0	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 की राशि का 2 प्रतिशत)।	गत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत अर्थात 13.77 करोड़ रु.।
5.0	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर राषि के व्यय का विवरण :	
	(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	कुल 29.08 करोड़ रु. के अनुमोदित सीएसआर बजट को ब्यय किया गया जो पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक है।
	(ख) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो।	शून्य
	(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि के तरीके	**परिशिष्ट – I** के रूप में संलग्न।
6.0	यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है। कंपनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के लिए कारण देगी।	टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए सीएसआर पर पूर्ववर्ती तीन साल के औसत शुद्ध लाभ 2 प्रतिशत से अधिक खर्च किया है।

7.0 सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन के अनुसार है।

ह./- (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	ह./- (सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

सीएसआर गतिविधियों के विवरण (वित्त वर्ष 2014-15)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र	स्थानीय क्षेत्र एवं जिला	परियोजना का बजट (लाख में)	परियोजना या कार्यकम पर मार्च, 2015 तक व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशिः सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	शैक्षिक विकास	शिक्षा	परियोजना का आस–पडोस	417.81	417.81	417.81	सेवा–टीएचडीसी
2	आर्थिक एवं सामुदायिक विकास	सामाजिक	परियोजना का आस–पडोस	144.69	144.69	144.69	सेवा–टीएचडीसी
3	स्वास्थ्य एवं पशु देखभाल	सामाजिक	परियोजना का आस–पडोस	75.45	75.45	75.45	सेवा–टीएचडीसी
4	पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	पर्यावरण	परियोजना का आस–पडोस	5.13	5.13	5.13	सेवा–टीएचडीसी
5	अवसंरचनात्मक विकास	अवसंरचना	परियोजना का आस–पडोस	120.63	120.63	120.63	सेवा–टीएचडीसी
6	महिला सशक्तिकरण, शिशु देखभाल और अन्य कल्याण गतिविधियां	महिला सशक्तिकरण	परियोजना का आस–पडोस	82.76	82.76	82.76	सेवा–टीएचडीसी
7	निष्पादन एजेंसी का कार्यालय खर्च (सेवा)		परियोजना का आस–पडोस	14.53	14.53	14.53	सेवा–टीएचडीसी
8	एनडीएमए के दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए निर्धारित निधि में योगदान	आपदा प्रबंधन	उत्तराखंड	100.00	100.00	100.00	सेवा–टीएचडीसी
9	टीएचडीसी–आईएचईटी	शिक्षा एवं अवसंरचना		1648.00	1648.00	1648.00	सेवा–टीएचडीसी
10	स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण	स्वच्छता	उत्तराखंड एवं उ.प्र.	300.00	300.00	300.00	सेवा–टीएचडीसी
	वित वर्ष 2014–15 के दौरान कुल सीएसआर व्यय			**2909.00**	**2909.00**	**2909.00**	

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल के द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित की गई प्रमुख सीएसआर पहलों का सार निम्नानुसार हैः–

क. निवारक स्वास्थ्य देखभाल व स्वच्छता, पेयजल आदि सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना

- वर्ष के दौरान, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों एवं पुनर्वास कालोनियों में निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के माध्यम से 13 बहुविशेषज्ञ चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। चिकित्सा उपचार लेने के लिए कुल 4451 रोगियों ने शिविरों में भाग लिया। इनमें से 664 गंभीर रोगियों की मोतियाबिंद सर्जरी और 91 की विशेष सर्जरी की गई है।
- टिहरी के दूरदराज के इलाके, दीन गांव में एमबीबीएस डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और चिकित्सा सहायक की टीम के साथ एक एलोपैथिक औषधालय स्थापित किया गया है। 15 गांवों के लगभग 7524 रोगी इस औषधालय से लाभान्वित हुए है।
- गलियाखेत, धौंतरी और कोटेश्वर में होम्योपैथिक औषधालयों की 03 नियमित इकाइयां प्रभावी ढंग से चल रही हैं। औसतन 150 रोगी (ओपीडी) प्रतिदिन निशुल्क परामर्श और दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कुल 45000 रोगी इन औषधालयों से लाभान्वित हुए हैं। ऋषिकेश में भी एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी को दवाओं के रूप में सहायता दी जा रही है जहां विशेषतया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का निशुल्क उपचार किया जाता है।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए जिला–टिहरी के संडाना गांव में जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है। उथड गांव, टिहरी के लिए भी जलापूर्ति योजना भी उपलब्ध कराई गई है।
- जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तराखंड के टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू मदें, टेंट, राहत सामग्री आदि का वितरण।

'स्वच्छ भारत अभियान' के अधीन सरकारी स्कूलों में टॉयलेट निर्माण का दृश्य

स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण

- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्युत मंत्रालय ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 1093 शौचालयों का निर्माण और मरम्मत का कार्य आबंटित किया था। इससे इन स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

ख. शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवसाय कौशल बढ़ाना और जीविका वृद्धि परियोजनाओं में वृद्धि करना। (अनुसूची VII की सीएसआर गतिविधि 02)

i शिक्षा :

- अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्ग के लगभग 600 बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए 06 महीने की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम टिहरी जिले के राजाखेत, घनसाली, क्यारी, कोटेश्वर, मजफ, डंग, रगडी, उप्पू, चिन्यालीसौड, नागनी एवं देहरादून जिले के भानियावाला, पशुलोक, इन्द्रानगर, नंदूफार्म तथा हरिद्वार जिले (उत्तराखंड) के पथरी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रोजगार प्राप्त करने लायक बनाने के लिए उनके कंप्यूटर कौशल में उन्नयन करना था।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में उनकी जरूरतों के अनुसार फर्नीचर, कंप्यूटर और अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।

- जिला टिहरी के अग्रोडा में राजकीय डिग्री कॉलेज के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें प्रदान की गई।
- टिहरी गढ़वाल के चोपड़ा गांव के 05 युवाओं को राजकीय आईटीआई चंबा, टिहरी के माध्यम से फिटर ट्रेड में 2 वर्ष का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- एक वर्ष का होटल प्रबंधन प्रशिक्षण टिहरी जिले के 42 बेरोजगार युवाओं को होटल प्रबंधन संस्थान चंबा, नई टिहरी और देहरादून में दिया जा रहा है। शैक्षिक सत्र के बाद उनका औद्योगिक प्रशिक्षण चल रहा है।
- 06 कक्षों के स्कूल भवन, सीढ़ी और शौचालय का निर्माण श्री रामकृष्ण जूनियर हाई स्कूल, सितारगंज, और उधमसिंह नगर में किया गया है जो दूरदराज के गांव में स्थित है । इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि से संबंधित समाज के वंचित वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं।
- जिला टिहरी गढ़वाल के सिलवल गांव, ताल मंदिर और मुखमल गांवों में मौजूदा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है।
- जिला टिहरी के चोपडा गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विद्यार्थियों को किताबें एवं स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराए गए हैं।
- शिक्षा को बढ़ावा देने में लगा एक संस्थान, आईएल एंड एफएस, टिहरी जिले के परियोजना प्रभावित गांवों के 100 युवाओं को उनके सतत विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नौकरी से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान रहा है।

ii) आजीविका वृद्धि परियोजनाएं :

वर्ष के दौरान परियोजना प्रभावित आबादी की आय बढ़ाने के लिए निम्नानुसार कुछ गतिविधियां संचालित की गई हैं–

- 310 पोल्ट्री इकाइयां और 30 बकरी पालन इकाइयां क्षेत्र में स्थापित की गई थीं और ये इकाइयां अंडे और मांस की बिक्री के द्वारा व्यापार मोड में चल रही हैं।
- जिला टिहरी के परियोजना प्रभावित परिवारों की आजीविका विकास के लिए मौसमी सब्जियों, औषधीय पौधों की खेती और केसर की खेती को बढ़ावा दिया गया है। टिहरी जिले में प्रदर्शनी में दिखाने और वितरण के लिए पेड़/पौधों को इन–हाउस बढ़ावा देने के लिए एक नर्सरी भी ऋषिकेश में स्थापित की गई है।
- किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बडोसराय में एक सूचना/किसान सेवा केंद्र प्रचालन में है। इस क्षेत्र में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, संकर बीज और कीटनाशक के बारे में उनका उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों की जागरूकता के लिए कृषि गोष्ठी भी आयोजित की गई है।

iii) लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वृद्धाश्रम स्थापित करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह की अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना ।

- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों कस्बों में सिलाई और बुनाई एवं उत्पादन केंद्र में छह महीने की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्ष के दौरान कुल 20 प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे थे। इन कार्यक्रमों से लगभग 900 बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के परिवार लाभान्वित हुए।
- वृद्ध और वंचित व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम कचनारी, हरदोई, उ.प्र. को बिस्तर के गद्दे और पंखे उपलब्ध कराए गए।

iv) पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना

पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन की पहल के तहत चलाई गई कुछ गतिविधियां निम्नानुसार हैं–

टिहरी परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों हेतु निःशुल्क नेत्र जांच शिविर

- टीएचडीसीआईएल कैम्पस ऋषिकेश में पौधों की विभिन्न किस्मों के 1000 पौधों का रोपण।
- फल की पौध, औषधीय और अन्य पौधों की लगभग 2250 विभिन्न किस्में, टिहरी जिले के दूरदराज के गांव, दीन गांव क्षेत्र में किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से दीर्घावधि सतत विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है।
- पारिस्थितिकी तंत्र और साफ–सफाई के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की रोकथाम के नारे के साथ पर्यावरण अनुकूल 800 छाते, चमोली में नंदा देवी राज जात यात्रा के तीर्थयात्रियों को प्रदान किए गए ।

दीनगांव, टिहरी गढ़वाल में महिला सशक्तिकरण केन्द्र

ग) दीर्घावधि सतत सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम

कंपनी टिहरी गढ़वाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास की अवधारणा पर काम कर रही है। विभिन्न सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय स्थायी आधार पर दीर्घकालिक सीएसआर परियोजनाओं को चलाने के लिए शामिल किए गए हैं। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

i) समन्वित विकास के दृष्टिकोण से टिहरी बांध जलाशय के रिम क्षेत्र के गांवों का सशक्तिकरण और आजीविका का संवर्धन।

सेवा–टीएचडीसी और भूगोल विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2010–11 से परियोजना प्रभावित क्षेत्र के रिम क्षेत्र में एक परियोजना शुरू की है। परियोजना की गतिविधियों का मूल उद्देश्य सतत आजीविका, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण वंचित जनता की आय में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से रिम क्षेत्र के ग्रामीणों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना था।

- इस कार्यक्रम के तहत जिला टिहरी गढ़वाल के **प्रतापनगर ब्लॉक के रिम क्षेत्र के 30 गांवों को** शामिल किया गया है और इसका प्रारंभिक ध्यान प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से **महिलाओं के कठिन परिश्रम और तनाव को कम** करने पर है। विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं –
- बेस लाइन सर्वे करने के बाद प्रतापनगर ब्लॉक में गतिविधियों को आरंभ करने के लिए एक समूह में न्यूनतम 10 महिलाओं को सम्मिलित करते हुए 50 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और महिला मंगल दलों का गठन किया गया है।
- आय के स्थायी स्रोत के विकास पर ध्यान देते हुए ग्रामीणों के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, पाली हाउस आदि के निर्माण के साथ मौसमी सब्जी जैसी विभिन्न आजीविका गतिविधियों को संचालित किया गया है।
- पुरुष/महिला किसानों को प्रदान की गई परिक्रमण निधि ने उनकी आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है।
- भूमि कटाव को बचाने और जल संरक्षण को रोकने के लिए टिहरी जलाशय के पास पथियाना जल धाराओं का उपचार किया गया है।
- वर्ष के दौरान उपरोक्त परियोजनाओं की कुल लागत 23.68 लाख रु. थी।

ii) पीडीएफएसआर, मोदीपुरम के माध्यम से आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम

इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकलचर रिसर्च (आईसीएआर) के अंतर्गत एक संस्थान कृषि प्रणाली अनुसंधान (पीडीएफएसआर), परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम, टिहरी जिले में खेती प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार थीं–

- कोटेश्वर बांध क्षेत्र और कांडीसौर में प्रत्येक में से एक–एक कुल दस (10) गांवों को गोद लिया गया। आवश्यकता आंकलन अध्ययन के दौरान यह पाया गया

ऋषिकेश में आधुनिक सुविधाओं के साथ टीएचडीसी हाईस्कूल

था कि दोनों ही समूहों के एक जैसे मुद्दे थे, जैसे बीजों की नवीनतम जानकारी की कमी, कृषि उपकरण, फसलों/सब्जी में तकनीक, कीटनाशकों का प्रयोग, पशुधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि ।

- फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं के बीजों की बेहतर किस्म (वीएलडब्ल्यू–89) लगभग 200 किसानों को प्रदान की गई। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को कीटनाशक वितरित किए गए। ग्रामीणों ने गेहूं की फसल की उपज में सुधार की पुष्टि की थी। दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीणों के बीच रसोई बागवानी को प्रोत्साहित किया गया है। कृषि और नई तकनीक के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों के कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से किसान गोष्ठियां आयोजित की गईं। किसान गोष्ठियों के दौरान विभिन्न प्रकार के फल और चारा पौधे, बीज और छोटे उपकरण किसानों को वितरित किए गए।

किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए पशुपालन में विभिन्न हस्तक्षेप किए गए। इनमें पलवार पशुओं के संतुलित पोषण के लिए स्वच्छता, गर्मी उत्सर्जन के लिए चिकित्सा, चारा पोषक तत्वों का विश्लेषण, वर्मी खाद और खनिज मिश्रण शामिल हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया कुल व्यय 13.96 लाख रुपए है।

टिहरी बांध से पानी के नियमित प्रवाह के कारण फसल पैटर्न अनुप्रवाह क्षेत्रों के अध्ययन पीडीएफएसआर द्वारा किए गए और **1351.50 करोड़** रुपए का लाभ दर्ज किया गया है जिसने राष्ट्रीय आय एवं किसानों के बेहतर जीवन स्तर में योगदान दिया है ।

iii) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से दीन गांव में सतत आजीविका तथा संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों के सामाजिक– आर्थिक सशक्तिकरण तथा पारिस्थितिकीय पुनः बहाली संबंधी कार्यक्रम

किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में उपली रमोली के नागुरा वाटरशेड पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन हेतु ग्रामीण समुदायों की पारिस्थितिकीय बहाली और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2011 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था । यह टिहरी क्षेत्र के **10 दूरदराज के गांवों के** ग्रामीण आधारित समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। इसकी थीम उस क्षेत्र के लोगों का अध्ययन और सर्वेक्षण करके उनके लिए काम करना है।

दीन गांव सेंटर में शुरू की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं–

- एमबीबीएस डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और परिचर की एक टीम के साथ एक एलोपैथिक औषधालय चल रहा है। 12–16 गांवों के औसतन 40–50 रोगी इस डिस्पेंसरी से उपचार करा रहे हैं।
- नेत्र विशेषज्ञों, स्त्री रोग, ऑर्थो एवं सामान्य चिकित्सक

टीएचडीसी हाईस्कूल, ऋषिकेश में स्कूल बैग एवं अध्ययन सामग्री का वितरण

के साथ सरकारी अस्पताल और निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के डाक्टरों के माध्यम से समय–समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए हैं।

- फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पैदावार देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का वितरण।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिलाई केन्द्र खोले गए ताकि उन्हें आत्म–निर्भर बनाया जा सके।
- स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए दो कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए।
- ग्रामीणों के बीच ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल के रूप में इको हट बनाए गए ।
- ग्रामीणों के मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को समय–समय पर आमंत्रित किया गया था। गांवों में नकदी फसल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- स्थानीय शिक्षकों के माध्यम से स्कूल के बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए ट्यूशन प्रदान किए गए हैं।
- प्रशिक्षण के लिए किसानों के दौरों का आयोजन किया गया।
- आजीविका लिंकेज के रूप में स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए थे।
- चारा और फलों के पौधों का पौधरोपण (लगभग 2250)।
- शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी, संस्कृति, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में लगभग 25-30 बड़े और छोटे कार्यक्रम शुरू किए गए।

इनके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और हम स्थानीय जनता के बीच विश्वास का निर्माण करने में सक्षम हुए हैं। आने वाले वर्षों में इनमें और अधिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ लिंकेज बनाई जाएगी। हमारा लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के गठन के माध्यम से जिम्मेदारियों को स्वयं लेने के लिए समुदायों को तैयार करना है। सेवा–टीएचडीसी द्वारा रोटरी के साथ स्वास्थ्य और कौशल विकास परियोजना को और अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ बनाने को 50.00 लाख रुपए की संयुक्त परियोजना शुरू कर दी गई है।

वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय 57.77 लाख रुपए है।

ख) टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस)

कंपनी, टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस) के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है। इनमें से एक भागीरथीपुरम, टिहरी में स्थित है जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में चल रहा है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है। इन दोनों स्कूलों में आस–पास के क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे पिछड़े तथा अ.जा./अ.ज.जा. के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

वर्ष के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। इन दोनों स्कूलों में सैनिक/केन्द्रीय स्कूलों के अनुभवी प्रधानाचार्य प्रभावी अधीक्षण तथा प्रशासन सुनिश्चित कर रहे हैं। समय–समय पर ग्रीष्मकालीन शिविर, साहसिक भ्रमण आदि जैसी पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा महोत्सवों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टीईएस द्वारा की गई पहलों से टिहरी तथा ऋषिकेश स्थित दोनों स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। अध्यापकों के कौशल में सुधार लाने के लिए उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान दोनों स्कूलों पर किया गया कुल व्यय लगभग 3.50 करोड़ रुपए है।

ग) टीएचडीसीआईएल हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान

टीएचडीसी इंडिया लि. ने उत्तराखंड राज्य के टिहरी में इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रतिष्ठान को प्रायोजित किया है। यह संस्थान 20 एकड़ से भी अधिक जमीन में फैला हुआ है जहां प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, पुस्तकालय, छात्रावास, कैंटीन आदि जैसी अत्याधुनिक और उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं विद्यमान हैं। पांच विषयों अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार और कंप्यूटर साइंस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए अवसंरचनात्मक तथा सज्जित करने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। विद्यार्थियों की कुल सं. 1067 है।

सभी बुनियादी सुविधाएं कंपनी द्वारा निर्मित की गई हैं और समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार इसके संचालन हेतु इसे उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान किए गए किया गया कुल व्यय (31.03.2015 के अनुसार) लगभग 8.54 करोड़ है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न है।

हमारे वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री आर.एस.टी.शाई ने 08.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लि. (टीएचडीसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला था। इससे पूर्व आप मई, 2005 से टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री शाई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। आपने आईआईएम, बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बैंकिंग, वित्त, वाणिज्यिक, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन का 35 वर्ष का व्यापक अनुभव है। आपने आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट के मूल्यांकन हेतु पारदर्शी निविदा प्रलेखन विकसित किया है तथा दिल्ली मेट्रो में परियोजना के शीघ्र पूरा होनें के संबंध में बोनस संबंधी अभिनव प्रकिया भी प्रारंभ की थी। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी में कार्यभार संभालने के पहले श्री शाई ने क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इस समय वे यूजेवीएनएल में अशंकालिक निदेशक और आईआईटी, रुड़की के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं।

श्री दीपक सिंघल को 26 अगस्त, 2014 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आप उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों जैसे– प्रबंध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण में प्रशासक एवं उपाध्यक्ष, कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विशेष सचिव, इलाहाबाद राजस्व बोर्ड के सदस्य, तथा जुलाई, 1997 से अगस्त, 2000 तक बरेली प्रभाग के आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे।

आप फरवरी, 2005 से सितंबर, 2005 तक उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। आप भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव थे। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव, सिंचाई के पद पर कार्यरत हैं।

श्री संजय अग्रवाल को 26 अगस्त, 2014 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने आईआईटी, कानपुर से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक एवं एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1984 बैच के अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यभार ग्रहण किया। आप जुलाई, 1988 से जुलाई, 1993 तक मेरठ के सीडीओ थे। आप विभिन्न जिलों के कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर कार्यरत रहे। आपको मई, 2001 से मार्च, 2002 तक उत्तर प्रदेश सरकार

के मुख्य मंत्री के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया था। आप यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। आप जनवरी, 2005 से अगस्त, 2010 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे।

प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर आप उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव रहे तथा अगस्त, 2010 से मई, 2013 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में महत्वरपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा मई, 2013 से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं।

श्रीमती अंजू भल्ला, 52 वर्ष, को 01 जुलाई 2015 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप दिल्ली विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। आपने 1990 में केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण किया था, और आप वाणिज्यिक उद्योग संस्कृति व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग में कार्य कर चुकी हैं। आपने मई, 2013 में विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (हाइडेल–।) के रूप में आप उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के समन्वयक तथा टीएचडीसी इंडिया लि. और नीपको की प्रशासनिक मुद्धों की प्रभारी थीं। आप मंत्रालय में निदेशक(ट्रांसमिशन) तथा निदेशक(नीति एवं नियोजन) की भी प्रभारी रह चुकी हैं। 14 जुलाई, 2015 को आपने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री डी.वी. सिंह ने दि. 12.05.2010 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व आप टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में बीमार और पटरी से उतर चुकी कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने हेतु मार्च 2007 से मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) का पद भार संभाल रहे थे। तीन वर्ष की अवधि में रिकॉर्ड प्रगति के साथ अत्यधिक मात्रा में सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया और परियोजना की दो इकाइयों से अप्रैल 2011 से उत्पादन आरम्भ हो गया। परियोजना ने त्वरित क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किये हैं। श्री सिंह ने 1983 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला से ऑनर्स के साथ बी.एससी. इंजीनियरिंग (सिविल) की शिक्षा ग्रहण की है। जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए श्री सिंह, कैलिफोर्निया (यूएसए) में "हाइड्रो विज़न–2008" पर आयोजित सेमिनार में सम्मिलित हुए तथा आपको मास्को विश्वविद्यालय, रूस के माध्यम से हाइड्रो प्रोजेक्ट इंस्टिट्यूट (एच.पी.आई.) मास्को द्वारा संचालित बांध तथा विद्युत गृह के सिविल कार्यों के डिजाइन में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्री सिंह के पास भूमिगत कार्यो, विद्युत गृह कार्यों, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास तथा भारी सिविल भवन निर्माण में 32 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप पिछले 23 वर्षों से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आपके टिहरी विद्युत गृह के प्रभारी इंजीनियर रहने की अवधि में टिहरी एच.पी.पी. (4x250 मेगावाट) की प्रत्येक 250 मे.वा.की

इकाइयाँ चालू की गई थीं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने एल एंड टी के साथ कार्य करते हुए कोल हैंडलिंग प्रोजेक्ट, उर्वरक परियोजना तथा दिल्ली में बहुमंजिला भवन परियोजना पर कार्य किया। वर्ष 2012 में सिविल इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में आपके कार्य कौशल एवं कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना निष्पादन में आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए "इंस्टिट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में "एमिनेंट इंजीनियर" की उपाधि से विभूषित किया गया था। आपको "इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" द्वारा "चार्टर्ड इंजीनियर" की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।

श्री एस.के. बिस्वास ने 01.11.2012 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 31 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री बिस्वास ने 01.11.2007 को महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व आपने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों (पीएसयूएस) अर्थात सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। श्री बिस्वास साइंस स्ट्रीम में स्नातक हैं एवं एक्सआईएसएस से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर तथा हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएल. बी. और इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा धारक हैं।

श्री श्रीधर पात्रा ने 02.08.2013 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। आपको सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) में 28 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री पात्रा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य के स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने विद्यासागर विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (मानव संसाधन विकास) किया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने व्यावसायिक रोजगार के अतिरिक्त एक शिक्षाविद् के रूप में योगदान किया है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमि:

बिजली किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता है। भारत में बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार का प्रयास है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू परिवारों को वहनीय दर पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धी माहौल में विद्युत क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुधार और नीतियां प्रारंभ की हैं। 12वीं योजना के दौरान 88537 मेगावाट (जल विद्युत–10897 मेगावाट) क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जबकि, अभी भी वृद्धि लक्ष्य से पीछे है, परियोजनाओं के विरोध एवं विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में देरी के कारण जल–विद्युत क्षेत्र की प्रगति धीमी है। एक मिनी रत्न केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी विद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति वचनबद्ध है जिसका उद्देश्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा करना सुगम बनाना तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है।

1400 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित टीएचडीसीआईएल बहु परियोजना वाला संगठन है जिसकी विभिन्न विद्युत परियोजनाएं, कार्यान्वयन के भिन्न–भिन्न स्तर पर चल रही हैं। वर्तमान में कंपनी की 6211 मेगावाट कुल परिकल्पित क्षमता की 15 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

दिनांक 31.03.2015 के अनुसार भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी सहभागिता 3:1 के अनुपात के साथ कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रु. है और प्रदत्त पूंजी 3528.88 करोड़ रु. है । कंपनी ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट तथा विभिन्न परंपरागत/गैर परंपरागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के रूप में कार्रवाई शुरु की है। कंपनी का फोकस सतत विकास पर है जैसा कि इसके विजन कथन में कहा गया है ''पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तर की ऊर्जा इकाई''।

स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण:

मजबूती और कमजोरी की तुलना में अवसर तथा कठिनाइयों का अध्ययन विश्लेषण द्वारा किया जाना है। टीएचडीसीआईएल का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया है:–

(क) मजबूती

- **मजबूत तकनीकी कौशल आधार:**

  टीएचडीसीआईएल ने एशियाई क्षेत्र के सबसे ऊंचे तथा विश्व के पांचवे सबसे ऊंचे अर्थ और रॉकफिल बांध (260.5 मीटर ऊंचा) को शामिल कर तकनीकी रुप से चुनौतीपूर्ण टिहरी जल विद्युत परिसर (2400 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी आधार प्राप्त किया है।

- **जटिल हिमालयन भूविज्ञान में भूमिगत कार्यों में इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल:**

  टिहरी परियोजना में 27 सुरंगे हैं जिनका अधिकतम व्यास 11 मीटर तथा कुल लंबाई लगभग 18 कि.मी. है तथा 18 शाफ्ट हैं जिनका अधिकतम व्यास 12 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है और कुल लंबाई लगभग 2.27 कि.मी. है।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े जटिल मुद्दों को संचालन करने के लिए योग्यता:**

  टिहरी परियोजना में लगभग 15,000 परिवारों का सफल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) टिहरी बांध से गंगोत्री तक के जलागम क्षेत्र का उपचार तथा पारिस्थितिकीय सुधार के अतिरिक्त अन्य उपाय शामिल थे।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल**

  कंपनी के पास मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम है तथा 788 कार्यपालकों, 116 पर्यवेक्षकों तथा 1109 कामगारों से युक्त सहायक स्टाफ की टीम है।

- **अच्छी वित्तीय स्थिति**

  कंपनी, वित्तीय सुदृढ़ आधार के साथ वित्त वर्ष 2006–07 से लगातार मुनाफा कमा रही है।

(ख) कमजोरियां

- वर्तमान में जल विद्युत क्षेत्र तक ही सीमित है।
- मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट परियोजनाएं जो केवल एक राज्य अर्थात उत्तराखंड में केन्द्रित हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां।

(ग) अवसर

- **भारत में अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता है:**

  जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभाव्यता है। जल–कोयला मिश्रण के ह्रास से अधिक आवश्यकता वाले समय में बिजली की कमी बढ़ने के कारण स्थिति बदतर हुई है जिससे नीति निर्माता जल संसाधनों पर अपना ध्यान देने तथा जल विद्युत विकसित करने के लिए बाध्य हुए हैं।

- **पड़ोसी देशों में जल विद्युत संभाव्यता:**

  भारत के बाहर विशेषकर नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभाव्यता है जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है।

- अन्य परंपरागत/गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन विविधीकरण की ये संभावनाएं देते हैं–

➢ **सौर ऊर्जा**

देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए भारी संभावनाएं हैं। टीएचडीसीआईएल ने 250 मेगावाट क्षमता तक की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए फरवरी, 2015 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से शुरू में 50 मेगावाट संचालित करने का प्रस्ताव है।

केरल के कसारागोड जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए एसईसीआई, केरल राज्य बिजली बोर्ड और टीएचडीसीआईएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर मार्च, 2015 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

➢ **पवन ऊर्जा**

कंपनी पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाओं को भी तलाश रही है। पवन संभावित राज्यों–राजस्थान/म.प्र./गुजरात/महाराष्ट्र में से किसी एक में उपयुक्त स्थल पर 50 (±1.0) मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना के 20 साल के लिए व्यापक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के साथ अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) कार्य के लिए अक्टूबर, 2014 में बोली आमंत्रित की गई थी । परियोजना बोली चरण में है।

➢ **परामर्श:**

कंपनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों/राज्यों/निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परामर्श/परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने की अपनी विशेषज्ञता और कौशल का प्रयोग किया है।

(घ) कठिनाइयां

- **अनुमति प्राप्त करने में समय लगना**

  पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के कठिन मानदंड और बोझिल प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

  पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- **भूमि अधिग्रहण**

  अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है और उसमें काफी समय लगता है।

- **भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं**

  विशेषकर तरुण हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विषमताओं से समय और लागत में काफी बढ़ोत्तरी हो जाती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

  चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू–स्खलन, पर्वतीय ढलानों के ढहने और सड़कें अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।

- **विनियामक जोखिम**

  इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण प्रशुल्क (टैरिफ) के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करें। टैरिफ विनियमों में आगे और परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह प्रचालन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। वर्ष 2015 से लागू टैरिफ नीति में वितरण संस्थाओं द्वारा प्रतिस्पर्धी आधार पर बिजली खरीदने की अनुमति है। इस प्रकार, कंपनी वर्तमान टैरिफ विनियम के तहत किए गए संरक्षण से वंचित हो जाएगी।

  जल विद्युत तथा पंप भंडारण परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ अधिक आवश्यकता वाले समय (पीकिंग पावर) में बिजली उपलब्ध करवाने तथा सिस्टम को आनुषांगिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की उनकी क्षमता है। वर्तमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था में इन लाभों को भलीभांति मान्यता प्राप्त नहीं है विशेषकर इसलिए कि वितरकों को सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन बहुत कम है।

भावी दृष्टिकोण:

क्षमता वृद्धि

मानव की समृद्धि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज सामना की जा रही ऊर्जा संबंधी चुनौतियों को हम कितनी सफलतापूर्वक सुलझाते हैं। कंपनी का भावी दृष्टिकोण सतत विकास पर केन्द्रित है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:

- पर्यावरण की रक्षा करने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हरित, नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन ;
- मांग में कमी लाने के लिए ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से प्रयोग; और
- कार्यकुशल, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयोग (नवाचार)।

परियोजनाओं के विकास के विभिन्न चरणों पर विचार करते हुए 12वीं योजना में कंपनी का संभावित अंशदान 74 मेगावाट (24 मे.वा. ढुकवां एसएचपी और 50 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना) होगा।

कंपनी स्वयं या राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रमों/भारत और विदेश स्थित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा संगठनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/देशों में जल संसाधनों के विकास में अपनी क्षमता को प्रयोग में लाने का प्रयास करेगी।

कंपनी, कोयला तथा नवीकरणीय अर्थात सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अन्य संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहती है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/जल विद्युत विकास के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए विकासकर्ताओं (डेवलपरों) को सर्वेक्षण और अन्वेषण, योजना और विकास परियोजना प्रबंधन तथा प्रचालन और अनुरक्षण में परामर्श देना चाहती है।

क. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

आपकी कंपनी ऊर्जा के संरक्षण में विश्वास रखती है। बिजली के प्रभावी उपयोग के द्वारा मांग कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। संयंत्र क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के अध्ययन करने के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली को कार्य दिया है। आवासीय और कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखापरीक्षा मैसर्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोशिएसन के माध्यम से कराई गई थीं। ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- सभी हॉस्टल और अतिथि गृहों में सोलर वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
- ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लगभग 231 पुराने एसी नए स्टार रेटेड एसी से बदल दिए गए है।
- ऊर्जा बचाने के लिए परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स ऊर्जा कुशल दूधिया लाइट के साथ प्रतिस्थापित की जा रही हैं।
- पहले चरण में छत के पुराने पंखे पांच सितारा रेटेड छत के पंखों से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।
- नए बुनियादी ढांचे में दूधिया एलईडी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी चरणबद्ध तरीके से, एलईडी ट्यूब के साथ प्रतिस्थापित की जा रही है।
- ऋषिकेश परिसर में सड़क प्रकाश आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 किलोवाट का सौर स्टैंडअलोन विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
- एलपीजी गैस बचाने के लिए गैस का उत्पादन करने हेतु कार्बनिक अपशिष्ट उपयोग किया जाता है।
- टाउनशिप, ऋषिकेश के लिए 500 केएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र की योजना बनाई गई है जो बागवानी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीवेज जल के उपचार में सक्षम है।

ख) तकनीकी समावेश, अनुकूलन और नवाचार

- **टिहरी एचपीपी के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क**

यह प्रणाली जलाशय से पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ने में पहले से निर्णय लेने को सक्षम करेगी और बाढ़ अवशोषित करने के लिए जलाशय में पर्याप्त गुंजाइश रखने में मदद करेगी।

- **सूक्ष्म भूकंपीय और शक्तिशाली गतिक एक्सीलेरोग्राफ की स्थापना (एसएमएएस)**

(i) सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क

भूकंप नेटवर्क का उद्देश्य टिहरी बांध के आस-पास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंप गतिविधि के दीर्घावधि डाटा एकत्र करने के लिए और भूकंपीय डाटा एकत्र करने के लिए है। वर्तमान में बारह रिकॉर्डिंग स्टेशन प्रचालन में हैं। इनमें से नौ स्टेशन नई टिहरी में केंद्रीय रिकॉर्डिंग स्टेशन (सीआरएस) से रेडियो से जुड़े हैं तथा तीन स्टेशन स्वतंत्र मोड में काम कर रहे हैं।

(ii) शक्तिशाली गतिक एक्सीलेरोग्राफ

शक्तिशाली गतिक एक्सीलेरोग्राफ (एसएमएएस) टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध की संरचना में भूमि में भारी गतिक रिकॉर्ड एकत्र करने और भूकंप के दौरान उनकी प्रतिक्रिया पर नजर रखने के उद्देश्य के साथ स्थापित किए गए हैं। कुल 10 एसएमए टिहरी में स्थापित किए गए हैं।

- **टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी**

टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के विद्युत यांत्रिक उपकरणों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और मशीनों के जीवन, स्थिति की निगरानी और जांच मैसर्स केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के द्वारा किए गए थे।

- **कोटेश्वर में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)**

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली एक कम्प्यूटरीकृत वास्तविक समय ऊर्जा निगरानी प्रणाली है। यह दिन–प्रतिदिन की विद्युत उत्पादन गतिविधि के लिए उत्पादन नियंत्रण, लोड की भविष्यवाणी और लोड नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटेश्वर एचईपी के लिए ईएमएस की खरीद की जा चुकी है और इसे स्थापित किया गया है। ईएमएस पहले से ही टिहरी एचपीपी में कार्यात्मक है।

- **कोटेश्वर एचईपी की ऊर्जा लेखा–परीक्षा**

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधान के तहत सरकार द्वारा घोषित सभी नामित उपभोक्ताओं को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन कराना होता है।

टिहरी यूनिट की ऊर्जा लेखा–परीक्षा पहले ही की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष में यूनिट निष्पादन और सहायक ऊर्जा की

खपत के परिप्रेक्ष्य में कोटेश्वर एचईपी की ऊर्जा लेखा परीक्षा मैसर्स सीपीआरआई के माध्यम से की गई है।

- **कोटेश्वर एचईपी की तृतीय पक्षीय सुरक्षा लेखा–परीक्षा**

कोटेश्वर एचईपी की तृतीय पक्षीय सुरक्षा लेखा–परीक्षा मैसर्स सीपीआरआई के माध्यम से की गई है। प्रणाली में सुधार की सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

- **कोटेश्वर में भूमि प्रतिरोधक मापन अध्ययन**

कोटेश्वर विद्युत संयंत्र की ग्राउंडिंग प्रणाली की स्वस्थता की जांच करने के लिए एक भूमि प्रतिरोधक माप अध्ययन मैसर्स सीपीआरआई द्वारा कोटेश्वर में किया गया था और इसे ठीक पाया गया।

- **पुर्जों का स्वदेशीकरण**

''मेक इन इंडिया'' की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स पावर मशीन, रूस द्वारा आपूर्ति किए गए टिहरी एचपीपी के ईएम उपकरणों के पुर्जों का स्वदेशीकरण शुरू किया गया है। इस संबंध में 250 मेगावाट जेनरेटर पुर्जों जैसे स्टेटर वाइंडिंग, रोटर पोल्स, मध्य स्लॉट वेज मैसर्स बीएचईएल और अन्य विक्रेताओं के माध्यम से विकसित किए गए हैं । उपरोक्त के अलावा, तेल और हवा के लिए उच्च दबाव वाल्व के 25 प्रकारों का विकास और पानी के लिए न्यून दबाव वाल्व का विकास भी किया गया है। यांत्रिक और जंग प्रतिरोध गुणों को बढ़ाने के लिए वाल्व के आंतरिक भागों का स्वदेशीकरण विकास स्टेनलेस स्टील एसएस 316 से किया गया अब जिसके परिणामस्वरूप इनका जीवन काल लंबा हो सके।

ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹लाख में)

	विवरण	2014-15	2013-14
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नगद आधार पर)**		
	यात्रा	27	15
	परामर्श एवं पेशेवर व्यय	17591	5060
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	257	0
	ऋण एवं ब्याज की अदायगी	0	2802
	वस्तुओं का आयात	0	342
	अन्य(अग्रिम)	4	2818
	क्राफेंस के लिए नामांकन		
	सॉफ़्टवेयर खरीद		
	अन्य	1271	0
	कुल	**19149**	**11036**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नगद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किया गया आयात का मूल्य**		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	0	470
	ii) पुर्जे		
	कुल	**0**	**470**
घ	**खपत किए गए घटकों, स्टोर्स एवं पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (लाख रु. में)	60	1
	(%)	9.55	0.14
	ii) देशी (लाख रु. में)	568	617
	(%)	90.45	99.86
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2014–15

खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)** : यू45203यूआर1988जीओआई009822
2. **कंपनी का नाम** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
4. **वेबसाइट** : www.thdc.gov.in
5. **ई–मेल आईडी** : cmd@thdc.gov.in
6. **जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है** : 2014–15
7. **जिस सेक्टर/जिन सेक्टरों के साथ कंपनी जुड़ी है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार)** : विद्युत

*समूह	वर्ग	उप वर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार

8. **उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दिए गए अनुसार)**
   1. जल विद्युत
   2. अभियांत्रिकी परामर्श
9. **उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं**
   1. **अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या–2 (संकोश एचईपी (2585 मे.वा.), भूटान तथा बुंनाखा एचईपी (180 मेवा), भूटान)**
   2. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–14**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	जिला	राज्य
प्रचालनाधीन परियोजनाएं				
1.	टिहरी बांध एवं एचपीपी	1000	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
2.	कोटेश्वर एचईपी	400	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
निर्माणाधीन परियोजनाएं				
3.	टिहरी पीएसपी	1000	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
4.	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी	444	चमोली	उत्तराखंड
5.	ढुकवां एसएचपी	24	झांसी	उत्तर प्रदेश

डीपीआर की तैयारी/सर्वेक्षण ओर अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं				
6.	झेलम तमक एचईपी	108	चमोली	उत्तराखंड
7.	मलेरी झेलम एचईपी	65	चमोली	उत्तराखंड
8.	करमोली एचईपी	140	उत्तरकाशी	उत्तराखंड
9.	जडगंगा एचईपी	50	उत्तरकाशी	उत्तराखंड
10.	बोकांग बेलिंग एचईपी	330	पिथौरागढ़	उत्तराखंड
11.	गोहाना ताल एचईपी	50	चमोली	उत्तराखंड
12.	मलशेज घाट पीएसएस	700	पुणे	महाराष्ट्र
13.	हुम्बर्ली पीएसएस	400	पुणे	महाराष्ट्र
14.	खुर्जा एसटीपीपी	1320	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
	कुल	**6031**		

इसके अतिरिक्त टीएचडीसीआईएल के निम्नलिखित कार्यालय हैं:

(i) कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश
(ii) एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी, गाजियाबाद
(iii) संपर्क कार्यालय, देहरादून
(iv) संपर्क कार्यालय, चंडीगढ़
(v) संपर्क कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
(vi) संपर्क कार्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजार:

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है:

(i) उत्तराखंड
(ii) उत्तर प्रदेश
(iii) हरियाणा
(iv) पंजाब
(v) हिमाचल प्रदेश
(vi) जम्मू और कश्मीर
(vii) राजस्थान
(viii) दिल्ली
(ix) चंडीगढ़

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी : 3528.88 करोड़ रु.

2. कुल कारोबार (सकल आय) : 2407.93 करोड़ रु.

3. करोपरांत कुल लाभ (पीएटी) : 691.15 करोड़ रु.

4. करोपरांत लाभ(%)के प्रतिशत के रुप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्चः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में लिया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2014–15 के लिए सीएसआर बजट 29.09 करोड़ रु. है जो पिछले वर्ष के 1062 करोड रु. के शुद्ध लाभ की तुलना में 4.22 प्रतिशत है।

5. उन गतिविधियों की सूची जिनके लिए उपरोक्त 4 के संदर्भ में व्यय किया गया हैः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों पर सीएसआर व्यय किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार है :

क. शैक्षिक विकास

ख. आर्थिक और सामुदायिक विकास

ग. स्वास्थ्य और पशु देखभाल

घ. पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

ड. अवसंरचना विकास

च. महिला सशक्तिकरण और बाल देखभाल

छ. आपातकालिक जरूरत / राहत उपाय

ज. अन्य समाज कल्याण गतिविधियां

खंड गः अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं ?

नहीं

2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बी आर पहलों में भाग लेती है / लेती हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी / कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें

लागू नहीं

3. क्या कोई अन्य इकाई / इकाइयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई / इकाइयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)

नहीं

खंड घः बीआर संबंधी सूचना

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक(कों)**

क) बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक(कों) का ब्यौराः

- नाम – श्री आर.एस.टी. शाई
- पदनाम – अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
- डी आई एन नं. – 00171920

बीआर शीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशकगण

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/नीतियां	उत्तरदायी निदेशक/निदेशक गण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ चलाए जाएं	• आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचार और नैतिक संहिता • सचेतक नीति • सत्यनिष्ठा समझौता	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यापारों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन काल के दौरान सततता में योगदान करें।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति ओएचएसएएस 18001–2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यापार द्वारा सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	एच आर नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यापारों द्वारा सभी पणधारियों विशेषकर वंचित, कमजोर तथा सीमांत पणधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन एवं मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यापारों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यापारों द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति आईएसओ 140001–2004 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यापार जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	कोर वैल्यू	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी 8)	व्यापार जगत द्वारा समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार रणनीति	निदेशक(तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी 9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ संलग्न होना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों/उपभोक्ताओं को उत्तरदायी रूप में महत्व देना चाहिए	उपभोक्ता फीडबैक तंत्र	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या..... के लिए आपकी कोई नीति/नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
2	क्या संगत पणधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं

3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं? यदि हां तो स्पष्ट करें–	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
4	(i) क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है? (ii) यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/यथोचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं?	हां नहीं	हां नहीं	हां	हां	हां नहीं	हां	हां	हां	नहीं नहीं
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/कार्मिकों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
6	नीति (पालिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें	*	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	हां
7	क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी पणधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रुप से सूचित किया जा चुका है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
9	क्या नीति/नीतियों से जुड़ी पणधारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है।	हां	हां	हां	हां		हां	हां	हां	

*पर्यावरण नीति thdc.gov.in/English/Scripts/ Environment Policy.aspx पर उपलब्ध है।

- **पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
  thdc.gov.in/English/Scripts/Environment_RandR.aspx
- **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :**
  thdc.gov.in/ writereaddata/English/ pdf/CSR
- **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
  http://thdc. gov.in/ writereaddata/english/pdf/CSR_CommuStrategy. pdf.
- **कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
  thdc. gov.in/ writereaddata/english/pdf/ Corporate ETHICSPolicy. pdf.
- **सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**

  सचेतक नीति के स्टेकहोल्डर केवल कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए सचेतक नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉगइन पर उपलब्ध है।
- **व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
  thdc. gov.in/ writereaddata/english/pdf/ BusinessConduct and Ethics. pdf.
- **अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
  thdc.gov.in/writereaddata/English/R&D_Policy-Publish.pdf.
- **सुरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है**
  thdc.gov.in/writereaddata/English/pdf/safetymanual.pdf.

2. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर "नहीं" है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों पर निशान लगाएं)

सिद्धांत 9: टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिह्नित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत 9 के बारे में अलग नीति की आवश्यकता नहीं है।

- टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों अर्थात राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश कंपनियां संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में होती हैं।
- विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी पणधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीआरईसी) द्वारा किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर क्षेत्रीय समितियों जैसे सामान्य मंच पर चर्चा कर उसका समाधान किया जाता है जिनमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं।
- ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए ग्राहकों (स्टेकहोल्डर्स से) अलग से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

3. बीआर से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें :–छमाही
- क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

– हां। टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट http://thdc. gov.in पर उपलब्ध हैं:

खंड ड. सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों पर लागू है?

कारपोरेट सुशासन के संबंध में टीएचडीसीआईएल के दर्शन की बुनियाद निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी सुशासन पद्धतियों की समृद्ध विरासत पर रखी गई है। कारपोरेट सुशासन में कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके अंशधारकों और पणधारियों के बीच संबंधों का समुच्चय शामिल होता है।

टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट सुशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। सुशासन में कंपनी के सभी कार्मिकों की जवाबदेही शामिल होती है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमादित की गई कंपनी की नीतियों पर आधारित होता है। इन नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों को दिशानिर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

आचार नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले ही प्रचलन में है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम को कम करना है।

जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवार्ड किए गए सभी प्रमुख कार्य अनुबंधों (1000.0 मिलियन रु. से अधिक अनुमानित लागत) तथा आपूर्ति और सेवा कार्यों (500.00 मिलियन रु. से अधिक अनुमानित लागत) के लिए अनिवार्य रूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि प्रापण (खरीददारी) और संविदा प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रकार यह नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

2. गत वित्त वर्ष के दौरान पणधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

पूर्ववर्ती वर्ष की कोई बकाया शिकायत नहीं है। दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 2

1. अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं जिनकी डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। कंपनी, पर्यावरण पर अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। पर्यावरण में उत्सर्जन में कमी लाना (विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसें), मृदा और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय, जैव विविधता संरक्षण, परिवेश के साथ सुविधाओं का समेकन, स्रोत पर कमी लाना, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण आदि ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने वाले सभी पक्षों पर लागू होते हैं।

जिन निर्माण परियोजनाओं से जैव भौतिक और मानवीय पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना होती है उनके लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किया जाता है। उपशमन, प्रतिपूर्ति और अनुसरण से जुड़े उपाय भी विकसित किए जाते हैं। टीएचडीसीआईएल की कार्रवाई कारगर है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह संगठन ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों पर निर्भर करता है। टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी तथा विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी नामक तीन परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) प्राप्त किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग भी लागू की गई है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक):

i. पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चैन के दौरान स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?

ii. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग में की गई कमी क्या है?

जल विद्युत परियोजनाएं जल की खपत किए बिना इसका उपयोग कर बिजली उत्पादन करती हैं और यह पानी पीने और सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है।

3. क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रणाली है ?

i. यदि हां, तो आपके आदान (इनपुट) का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से प्राप्त (सोर्स) किया गया ? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

बिजली के उत्पादन के लिए पानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

4. क्या कार्यस्थल के आस–पास स्थित समुदाय के लोगों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कोई कदम उठाएं हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माल/कार्य/सेवाओं की खरीददारी ई–टेंडर के जरिए की जाती है। व्यापक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में एनआईटी भी प्रकाशित की जाती हैं । सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं।

स्थानीय व छोटे वेंडरों/ठेकेदारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- ई–टेंडरिंग में स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई–टेंडरिंग के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा खोले गए ''सुविधा केंद्रों'' के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंजीकरण एवं टेंडर अपलोड करने के लिए विक्रेताओं की सहायता की जाती है।
- 2.0 करोड़ रु. तक के मूल्य के टेंडर स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। 2.0 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के टेंडर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक स्थानीय और लघु उत्पादक भाग ले सकें।
- टाउनशिप के अवसंरचनात्मक/अनुरक्षण कार्यों से संबंधित छोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं।

- परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थापनाओं के लिए वाहन किराए पर लेना, कार्यालय परिसर की सफाई, बागवानी कार्य जैसी सेवाएं स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों के माध्यम से कराए जाते हैं।
- विशेषज्ञता कार्य में जुटे प्रमुख ठेकेदारों को स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों से प्रापण को बढ़ावा देने के क्रम में टेंडर की लागत एवं ईएमडी के भुगतान को छोड़ने जैसी छूट भी दी जाती है।

5. क्या उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है। यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्ट का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पार्टियों के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 3

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं: 2013 (31.03.2015 के अनुसार)

2. कृपया अस्थायी/संविदा/ तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

कंपनी मेहनताने के एवज में अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती। तथापि, कंपनी के बिजनेस माड्यूल में विभिन्न कियाकलापों जैसे निर्माण, उत्थापन, विषेशज्ञतायुक्त परामर्शी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें
118 (31.03.2015 के अनुसार)

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें
28 (31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार)

5. क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।
टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित कर्मचारी एसोसिएशनें हैं जिन्हें प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की है:

- टीएचडीसी आफीसर्स एसोसिएशन
- टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
- टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
- टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
- टीएचडीसी कामगार यूनियन
- टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
- टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
- टीएचडीसी एम्पलाइज यूनियन

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?
वर्तमान में 1597 (79.33 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी इन एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं.	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.
1	बाल श्रम/बेगार/अनिच्छापूर्वक किया गया श्रम	शून्य	लागू नहीं
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं
3	रोजगार में भेदभाव	शून्य	लागू नहीं

8. **आपके निम्नलिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष सुरक्षा और कौशल में सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ?**

	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या		प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	
	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल स्तर में सुधार	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल स्तर में सुधार
स्थायी कर्मचारी	159	414	7.89%	20.56%
स्थायी महिला कर्मचारी	2	44	1.73%	38%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकलांग कर्मचारी	2	3	7.14%	10.71%

सिद्धांत 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी पणधारियों की गणना की है?**

   हां

2. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित कमजोर और सीमांत पणधारियों की पहचान की है?**

   हां

3. **क्या वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।**

   कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं।

सिद्धांत 5

1. **क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकार संगठनों / अन्यों पर भी लागू है?**

   टीएचडीसीआईएल की सभी कार्मिक नीतियां इकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा एवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

2. **पिछले वित्त वर्ष के दौरान पणधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से किया गया?**

   वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूहों / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर–सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है।**

   टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, उप ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

   कर्मचारियों के लिए सततता विकास जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

2. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैशिवक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है / पहलें की हैं, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।

हां, टीएडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक हैं–
http://www.thdc.gov.in/ writereaddata/english/pdf/envpolicy.pdf.

3. **क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म एनजीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरु की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

कंपनी जल विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। तथापि, कंपनी, ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे गुजरात में 50 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजना तथा केरल में 50 मे.वा. की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी पहल कर रही है।

6. **क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी /एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कपंनी द्वारा किया गया उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?**

हां

7. **वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)**

शून्य

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।**

क. आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

ख. स्टैंडिंग कांफ्रेस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

2. **क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (ड्राप बाक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत अन्य)**

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। समिति अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियां और दिशानिर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों में समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के मत/सुझाव दिए जाते हैं ताकि वह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख कर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण देश के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।**

कंपनी, भारत सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार महाप्रबंधक(सामा.एवं पर्या.) के नेतृत्व में एक प्रशिक्षित और समर्पित टीम के सदस्यों के माध्यम से सीएसआर तथा सततता परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। कंपनी

टीएचडीसीआईएल प्रचालन स्टेशनों तथा ग्राहकों की अधिकता वाले स्थानों अर्थात विशेष रूप से उत्तर भारत में अ.जा. /अ.ज.जा. अ.पि.व, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और उम्रदराज लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामुदायिक विकास कर रही है। यह परामर्श एवं सहभागिता के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रभावी सुपुर्दगी के लिए संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ समुचित भागीदारी का निर्माण भी कर रही है।

कंपनी ने अपने प्रचालन क्षेत्रों और व्यापारिक क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर नीति, 2013 तैयार की। कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित सीएसआर एवं सततता नीति, 2015 को कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जा चुका है।

सीएसआर सूचना रणनीति संबंधित पणधारियों के साथ दो तरीके से लगातार संचार करती है। एक ओर तो यह सीएसआर तथा सततता परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन करती है और दूसरी ओर यह सतत विकास के संबंध में जागरुकता बढ़ाती है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संस्था/किसी अन्य संगठन द्वारा भी किए जाते हैं?

कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों, सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) द्वारा निष्पादित की जाती हैं जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को भी संलग्न किया जाता है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आंकलन किया है?

हां

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–भारतीय रुपये में खर्च की गई राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

टीएचडीसीआईएल मुख्यतः परियोजना क्षेत्र में सतत विकास के लिए विभिन्न सीएसआर गतिविधियां संचालित कर रही है। सीएसआर गतिविधियों में शिक्षा विकास, आर्थिक एवं सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अवसंरचनात्मक विकास, महिला सशक्तिकरण और शिशु सुरक्षा, आपातकालीन जरूरत/मदद उपाय आदि शामिल हैं।

इनके अलावा, टिहरी परियोजना में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अवसंरचना निर्मित की जा रही है। पांच अभियांत्रिकी संकायों में कुल 1097 छात्र (प्रथम वर्ष से चौथे वर्ष) पढ़ रहे हैं।

भागीरथीपुरम, टिहरी में एक इंटर कॉलेज और टीएचडीसी कैम्पस, ऋषिकेश में एक हाईस्कूल (600 छात्र लगभग), टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी के तहत कंपनी की सीएसआर निधि के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। पुस्तकें, वर्दी, लैब, परिवहन आदि जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बेकार पड़े शौचालयों के निर्माण और मरम्मत (कुल लक्ष्य 1533 शौचालय) की जिम्मेदारी सौंपी है जिस पर आने वाले व्यय 2.24 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अवमुक्त किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 29.09 करोड़ रुपए है। टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों का शीर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्रम सं.	बजट शीर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
01.	शिक्षा विकास	417.81
02.	आर्थिक एवं सामुदायिक विकास	144.69
03.	स्वास्थ्य एवं पशु देखभाल	75.45
04.	पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	5.13
05.	अवसंरचनात्मक विकास	120.63

06.	महिला सशक्तीकरण, शिशु देखभाल और अन्य कल्याण गतिविधियां	82.76
07.	निष्पादन एजेंसी का कार्यालय खर्च (सेवा)	14.53
08.	एनडीएमए के दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए निर्धारित निधि में योगदान	100
09.	टीएचडीसी–आईएचईटी	1648
10.	स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण	300
	वित वर्ष 2014–15 के दौरान कुल सीएसआर व्यय	**2909**

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय के लोगों ने सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

हां। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय के लोगों द्वारा सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। सामुदायिक विकास के लिए तीन शैक्षिक संस्थाओं को संलग्न किया गया है। स्टेकहोल्डरों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं जिससे समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ तथा राइटअप के रूप में रिकार्ड सुरक्षित किए जाते हैं। समुदाय के लोगों को नवीनतम सूचना और प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए समय–समय पर किसान गोष्ठी तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सतत आजीविका और सामुदायिक विकास, ऋषिकेश में बाहरी तथा आंतरिक पणधारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें समुदाय तथा सीएसआर एवं विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। स्टेकहोल्डरों के फीडबैक लेने और तदनुसार सीएसआर परियोजनाओं को संरेखित करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं ।

सिद्धांत 9

1. वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित हैं ?

समीक्षा अवधि के दौरान कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों द्वारा दिए गए अधिदेश के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन करती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएं)

टिहरी एचपीपी तथा कोटेश्वर एचईपी के प्रचालन के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गए हैं–

अलार्म सिस्टम: निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने के लिए टिहरी तथा कोटेश्वर दोनों परियोजनाओं में अलार्म सिस्टम लगाया गया है जिन्हें विद्युत संयंत्र की मशीनों को शुरु करने या बाढ़ के दौरान पानी छोड़ने के लिए स्पिलवे का प्रचालन करने से पूर्व बजाया जाता है।

टिहरी में मशीनों के प्रचालन के दौरान: टर्बाइन शुरु करने से 15 मिनट पूर्व, बांध के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थापित किए गए सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत संयंत्र की मुख्य सुरंग के आउटलेट को सूचना दी जाती है ताकि वे लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाएं। जब एक से अधिक टर्बाइन शुरु की जानी हो तो प्रत्येक मशीन 15–15 मिनट के अंतराल पर शुरु की जाती है।

कोटेश्वर में मशीनों के प्रचालन के दौरान: यदि चार इकाइयों में से पहली इकाई शुरु की जाती है तो इकाई शुरु की जाने से 15 मिनट पहले सायरन बजाया जाता है और उसके बाद 5–5 मिनट के अंतराल पर इसका प्रचालन दोहराया जाता है।

यदि कोई इकाई शुरु की जा चुकी हो और दूसरी इकाई शुरु की जाती है तो इसके शुरु होने से 5 मिनट पूर्व सायरन एक बार बजाया जाता है। जब एक से अधिक मशीनें शुरु की जानी हों तो प्रत्येक दूसरी मशीन 15 मिनट के अंतराल पर शुरु की जाती है।

टिहरी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज का प्रचालन शुरु करने से पूर्व नदी के आस–पास स्थित निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

कोटेश्वर में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज रेडियल गेटों के प्रचालन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार एक मिनट तक सायरन बजाया जाए तथा 5–5 मिनट के अंतराल पर तीन बार दोहराया जाए। जब कभी स्पिलेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को चेताने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

नोटः स्पिलवेज का प्रचालन करते समय पानी छोड़ने में हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। स्पिलवे गेट धीरे–धीरे, बारी–बारी से खोले जाते हैं और एक बार में एक ही गेट लगभग 100 मि.मी. खोला जाता है ताकि निचले क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न घटे।

3. **क्या किसी पणधारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, गैर जिम्मेदराना विज्ञापन और या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए कोई मामला दायर किया गया है तथा ऐसा मामला वित्त वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।**

   नहीं

4. **क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि का रुझान देखती है।**

   हां, फीडबैक सर्वेक्षण के रूप में ग्राहक सर्वेक्षण किए जाते हैं। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें।

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सी.पी. 13090

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VI

फार्म नं. एमआर-3
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढ़वाल, टिहरी–249001

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') सीआईएन नं. U45203UR1988GOI009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी सुशासन पद्धतियों के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी सहभागिता के साथ गैर–सूचीबद्ध भारत सरकार का उपक्रम है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से की गई जिसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा दायर की गई विवरणी और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के वास्तविक सत्यापन और सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके कार्यालयों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जो नीचे दी गई रिपोर्टिंग की सीमा, रीति के अनुसार और इसके अध्यधीन है।

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बहियों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा दायर विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच पड़ताल की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम;

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं वाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम

(iii) अन्य लागू नियम, नामतः

1. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1981
4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
5. आयकर अधिनियम, 1961
6. संपत्ति कर, 1948
7. सेवा कर अधिनियम, 1994
8. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889,
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और
10. औद्योगिक और श्रम कानून, जिनमें शामिल हैं–

क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

ग) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाइलः 919816010286ः दूरभाषः 011–26018714 ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

ई) कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

च) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

छ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर दिए गए विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है :

1. बोर्ड की संरचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी ;
2. जिसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और अन्य समितियां कार्यात्मक नहीं थीं।

आगे मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां की समुचित सूचना सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं तथा बैठक से पहले एवं बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची पर जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है ।

बहुमत के फैसले लेते समय असहमत सदस्यों के विचारों को संभाल कर रखा जाता है तथा इन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है ।

आगे मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। कंपनी ने बोर्ड में प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट/प्रमाण पत्रों में विस्तार करने का आश्वासन दिया है ताकि रिपोर्टों को लागू अधिनियमों/कानूनों के लिए और अधिक विशिष्ट बनाया जा सके।

आगे मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने विशेष संकल्प पारित करते हुए चल रही परियोजनाओं के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बोर्ड की ऋण लेने की शक्तियां 17,330 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है जिसका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक बड़ा असर होने वाला है।

ह./-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2015

यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

अनुलग्नक–क

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढ़वाल, टिहरी–249001

इसी तारीख की मेरी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए ।

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी इन सचिवालयी रिकॉर्ड पर मेरी लेखा–परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. मैंने ऐसी लेखा–परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवालयी रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयी रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं या नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की सत्यता तथा औचित्यतता सत्यापित नहीं किए हैं।
4. जहां कहीं आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटने के बारे में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावशीलता के बारे में, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

ह./-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2015

178 आरपीएस फ़्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाइलः 919816010286ः दूरभाषः 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

प्रपत्र सं.एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार
31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i.	सीआईएन	:	U45203UR1988GOI009822
ii.	पंजीकरण की तिथि	:	12 जुलाई,1988
iii.	कंपनी का नाम	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	सरकारी कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	भगीरथ भवन, टॉप टैरिस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड (249001)
vi.	संपर्क ब्यौरे	:	पीआईओ टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम ऋषिकेश–249201 फोनः 135–2473459
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	:	नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान संबंधी व्यवसाय को बताया जाएगाः

क.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	विद्युत उत्पादन	4001	100%

III. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान परिवर्तन%
	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर्स							
(1) भारतीय							
क) व्यक्तिगत	10	10		10	10		शून्य
ख) केंद्र सरकार	25381517000	25381517000	73.08	25939417000	25939417000	73.51	0.43
ग) राज्य सरकार(रें)	9349400000	9349400000	26.92	9349400000	9349400000	26.49	-0.43
उप– जोड़ (क) (1) :-	34730917000	34730917000	100%	35288817000	35288817000	100	

(2) विदेशी							
क) अनिवासी–व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ड.) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उप– जोड़ (क) (2) :-	**34730917000**	**34730917000**	**100%**	**35288817000**	**35288817000**	**100%**	
प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1) + (क)(2)							
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग							
(1) संस्थाएं							
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
घ) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ड.) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
छ) एफआईआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उपजोड़ (ख)(1):–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	
(2) गैर–संस्थाएं							
क) निकाय निगम							
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) विदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स शेयर होलडिंग्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जो एक लाख रु. तक की नाम मात्र शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रु. से अधिक की शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

ब) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उप–जोड़ (ख)(2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स	शून्य			शून्य			
कुल योग (क+ख+ग)	**34730917000**			**35288817000**			

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	25381517	73.08	शून्य	25939417	73.51	शून्य	0.43%
2	उत्तर प्रदेश सरकार	9349400	26.92	शून्य	9349400	26.49	शून्य	-0.43%
	कुल	**34730917**	**100**	-	**35288817**	**100**	-	

(iii) प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
(1)	**भारत के राष्ट्रपति**	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
क	वर्ष के प्रारंभ में	25381517	73.08%	25381517	73.08%
ख	26 जून, 2014 को आबंटित शेयरों की संख्या	150000	00.12%	150000	00.12%
	17 अक्टूबर, 2014 को आबंटित शेयरों की संख्या	250000	00.19%	250000	00.19%
	13 फरवरी, 2014 को आबंटित शेयरों की संख्या	157900	00.12%	157900	00.12%
ग	वर्ष के अंत में **(क+ख)** = ग	25939417	73.51%	25939417	73.51%
2)	**उ.प्र. के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.92%	9349400	26.92%
ख	कोई आबंटन/हस्तांतरण नहीं	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष के अंत में **(क+ख)** = ग	9349400	26.49%	9349400	26.49%

(iv) शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति

(निदेशक गण, प्रमोटरों और डीजीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
(1)	**भारत के राष्ट्रपति**	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
क	वर्ष के प्रारंभ में	25381517	73.08%	25381517	73.08%
ख	26 जून, 2014 को आबंटित शेयरों की संख्या	150000	00.12%	150000	00.12%
	17 अक्टूबर, 2014 को आबंटित शेयरों की संख्या	250000	00.19%	250000	00.19%
	13 फरवरी, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	157900	00.12%	157900	00.12%
ग	**वर्ष के अंत में (क+ख) = ग**	**25939417**	**73.51%**	**25939417**	**73.51%**
2)	**उ.प्र. के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.92%	9349400	26.92%
ख	कोई आबंटन/हस्तांतरण नहीं (बदलाव नहीं)	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष के अंत में **(क+ख) = ग**	9349400	26.49%	9349400	26.49%

(v) निदेशको एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1.	श्री आर.एस.टी.शाई	1	शून्य	1	शून्य
2.	श्री राज पाल	2	शून्य	2	शून्य
3.	श्री दीपक सिंघल	2	शून्य	2	शून्य
4.	श्री डी.वी. सिंह	1	शून्य	1	शून्य
5.	श्री संजय अग्रवाल	2	शून्य	2	शून्य
6.	श्री श्रीधर पात्रा	1	शून्य	1	शून्य

IV. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	41359054342	933082910	0	42292137252
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं किया	0	0	0	0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	504241740	492915	0	504734655
कुल (i + ii + iii)	**41863296082**	**933575825**		**42796871907**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि • कमी	5699900000 7220539378	692074658 0	0 0	6391974658 7220539378
शुद्ध परिवर्तन	**-1520639378**	**692074658**	**0**	**-828564720**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल धन	39838414964	1625157568		41463572532
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं किया	0	0		0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	482824618	4182831		487007449
कुल (i+ii+iii)	**40321239582**	**1629340399**	**0**	**41950579981**

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के नाम				कुल राशि (राशि लाख रु. में)
		श्री आर.एस. टी.शाई	श्री डी.वी. सिंह	श्री एस.के. विस्वास	श्री श्रीधर पात्रा	
1.	**सकल वेतन**					
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	33.16	27.65	27.28	27.76	115.85
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	11.56	14.24	9.45	8.00	43.25
ग)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	18.09	11.12	11.12	11.12	51.45
2.	**स्टॉक विकल्प**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	छूट					
-	लाभ के प्रतिशत के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
-	अन्य, उल्लेख करें.....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(क)	**62.81**	**53.01**	**47.85**	**46.88**	**210.55**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि [₹]
		प्रो.(डॉ.) एस. सी. सक्सेना	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	श्री राजीब शेखर साहू		
1.	**स्वतंत्र निदेशक**					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	2,20,000 शून्य शून्य	2,60,000 शून्य शून्य	1,40,000 शून्य शून्य		6,20,000
	कुल (1)	**2,20,000**	**2,60,000**	**1,40,000**		**6,20,000**
		श्री राज पाल	श्री दीपक सिंघल	श्री संजय अग्रवाल		
2.	**अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण**					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य		- - -
	कुल(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**		**-**
	कुल (ख)= (1+2)	**2,20,000**	**2,60,000**	**1,40,000**		**6,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा (प्रति बैठक)	1,00,000	1,00,000	1,00,000		

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन				
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	33.16	18.70	27.76	79.62
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	11.56	2.78	8.00	22.34
ग)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	18.09	3.49	11.12	32.70
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के अनुसार - अन्य, उल्लेख करें.....	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	**62.81**	**24.97**	**46.88**	**134.66**

vi. अपराधों का शास्तियां/दंड/सुलाह करना

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/लगाया गया समझौता शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य दोषी अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

वर्ष 2014-15 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2014–15

1. सामान्य

वित्तीय विवरण के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आयकर के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहित / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, परंतु कंपनी के नियंत्रण एवं कब्जे में अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परकिलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाऊनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व

शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट आफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर चिन्हित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ई डी सी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/ समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें ये उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों

इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

iii. 1500/– रुपये से अधिक पर 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार होने' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अंनतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित नुकसानी/वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गए खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

xiii. सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई खर्च न की गई धनराशि को समाप्त न किए जाने योग्य निधि में अलग से रखा जाएगा।

xiv. तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूलनीय न घोषित किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को मामले दर मामले आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब तक अंततः उगाही करना संभव न हो सके।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस–15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गए कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के ''नगदी प्रवाह विवरण'' से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,52,888		3,47,309	
ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	4,30,943	7,83,831	3,85,815	7,33,124
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,27,566		3,07,082	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	23,094		23,302	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	32,246	3,82,906	22,338	3,52,722
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	43,634		63,359	
ख) व्यापार देयताएं	7	72		24	
ग) अन्य चालू देनदारिया	8	60,187		69,917	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	37,047	1,40,940	16,175	1,49,475
योग			**13,07,677**		**12,35,321**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	7,95,592		8,43,416	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	80		74	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	1,67,420		1,11,712	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	11	33	9,63,125	0	9,55,202
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		45,794		32,108
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		41,181		57,702
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		143		162

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	5,094		3,381	
ख) प्राप्य व्यापार	16	2,38,719		1,72,416	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	4,135		7,742	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	7,711		5,437	
ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	1,775	2,57,434	1,171	1,90,147
योग			**13,07,677**		**12,35,321**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,39,716		2,17,376
अन्य आय	21		1,077		862
कुल राजस्व			**2,40,793**		**2,18,238**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		22,438		18,854
वित्त लागत	23		43,878		53,027
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		48,386		48,122
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		17,855		15,370
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	25		12,638		0
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में			7,801		0
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी)			0		15,192
कुल व्यय			**1,52,996**		**1,50,565**
पूर्वावधि मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			87,797		67,673
पूर्वावधि व्यय/(आय)–निवल	26		13,992		1,076
कर पूर्व लाभ			73,805		66,597
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		18,323		13,952	
संपत्ति कर		53	18,376	33	13,985
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(13,686)	(13,686)	(6,920)	(6,920)
वर्ष के लिए लाभ			**69,115**		**59,532**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूल (₹)		197.60	172.88
तनूकृत (₹)		197.60	172.88

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन न. 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन		**87,797**		**67,673**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	48,037		49,028	
प्रावधान	12,638		-	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	7,801		-	
आस्थगित मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम	0		(1,619)	
ऋणों पर ब्याज	43,878		53,027	
पूर्वावधि समायोजन	(13,992)	98,362	(1,076)	99,360
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,86,159**		**1,67,033**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(1,775)		(823)	
प्राप्य व्यापार	(66,303)		58,285	
अन्य परिसंपत्तियां	(604)		(586)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(17,474)		(3,555)	
व्यापार देय और देनदारियां	(846)		1,711	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	30,780	(56,222)	5,177	60,209
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**1,29,937**		**2,27,242**
निगम कर		(18,376)		(13,985)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,11,561**		**2,13,257**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(62,625)		(52,661)	
निर्माण स्टोर	19		(13)	
पूंजी अग्रिम	11,344		2,905	
विविध व्यय (समायोजन की सीमा तक)	-		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(51,262)**		**(49,769)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	5,579		3,000	
अन्य पूंजीगत प्रारक्षित निधि	(472)		0	
उधारियां	(8,285)		(1,07,328)	
ऋणों पर ब्याज	(43,878)		(53,027)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(16,850)		0	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(63,906)**		**(1,57,355)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(3,607)**		**6,133**
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**7,742**		**1,609**
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**4,135**		**7,742**

टिप्पणी :

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख ₹ (पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख ₹) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित/पुनः दर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	**(श्रीधर पात्रा)**	**(आर. एस. टी. शाई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. F6445	डीआईएन न. 06500954	डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :– 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
1000/–रु. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,52,88,817**	**3,52,888**	**3,47,30,917**	**3,47,309**

टिप्पणी :– 1.1

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309
निर्गत		5,57,900	5,579	3,00,000	3,000
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		**3,52,88,817**	**3,52,888**	**3,47,30,917**	**3,47,309**

टिप्पणी :– 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,59,39,417	73.51	2,53,81,517	73.08
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.49	93,49,400	26.92
कुल		**3,52,88,817**	**100.00**	**3,47,30,917**	**100.00**

टिप्पणी :– 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		47,580	96,538	40,915	1,03,203
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(472)	0	0	472
उप जोड़ "क"			**96,538**		**1,03,675**
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		2,82,140		2,22,608	
जोड़ें: पी एंड एल विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		69,115		59,532	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			**3,51,255**		**2,82,140**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		14,000	14,000	0	0
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर अंतरिम		0		0	
लाभांश वितरण कर प्रस्तावित		2,850	2,850	0	0
उप जोड़ "ख"			**3,34,405**		**2,82,140**
कुल (क+ख)			**4,30,943**		**3,85,815**

2.1 पीएचआरडी अनुदान को सीडब्ल्यूआईपी के साथ वीपीएचईपी के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय के संबंध में शामिल किया गया है।

टिप्पणी :– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएफसी) –78302001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 जुलाई, 2005 से 15 अप्रैल, 2015 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, जिस पर 9.75 प्रतिशत से 10.75 प्रतिशत के बीच फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			0		3,015
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			67,708		76,736
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			67,275		78,975
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए–जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			43,796		50,804
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच)			58,536		71,221

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677052247 (टिहरी पीएसपी के लिए)## स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर @ आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 11.2 प्रतिशत)			73,999		17,000
कुल (क)			**3,11,314**		**2,97,751**
ख. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)$** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर @ एलआईबीओआर+भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 0.83 प्रतिशत)			16,252		9,331
कुल (ख)			**16,252**		**9,331**
कुल (क+ख)			**3,27,566**		**3,07,082**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# काटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी :– 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		21,271		22,890	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं:					
वर्ष के दौरान समायोजित		0	21,271	1,619	21,271
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए					
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		203	203	12	12
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण		1,620		2,019	
अन्य देनदारियां		0	1,620	0	2,019
कुल			**23,094**		**23,302**

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी :– 5

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		22,090	11,840	(347)	(1,585)	31,998
II. अन्य		248	0	0	0	248
कुल		**22,338**	**11,840**	**(347)**	**(1,585)**	**32,246**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**20,305**	**5,645**	**(3,158)**	**(454)**	**22,338**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 6

अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*			43,634		63,359
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार दर अर्थात 10.25 प्रतिशत)					
कुल			**43,634**		**63,359**

* टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के 43634 लाख रु. का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी :– 7

व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			72		24
कुल			**72**		**24**

टिप्पणी :– 8

अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत*			43,436		52,480
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
कुल (क)			**43,436**		**52,480**
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		5,970	5,970	6,532	6,532
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		2,539		2,871	
अन्य देनदारियां		3,372	5,911	2,987	5,858
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		4,870		5,047	
अन्य देनदारियां		0	4,870	0	5,047
कुल			**16,751**		**17,437**
कुल देनदारियां			**60,187**		**69,917**

*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

टिप्पणी :– 9

अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		1,294	16	(209)	(301)	800
II. कर्मचारियों से संबंधित		13,372	7,450	(713)	(4,256)	15,853
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		0	14,000	0	0	14,000
IV. लाभांश वितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		0	2,850	0	0	2,850
III. अन्य		1,509	11,708	(217)	(9,456)	3,544
कुल		**16,175**	**36,024**	**(1,139)**	**(14,013)**	**37,047**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**13,031**	**15,100**	**(4,426)**	**(7,530)**	**16,175**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 10
अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिकी /समायोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	591	9	-	600	48	21	-	69	531	543
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,753	89	-	3,842	-	-	-	-	3,842	3,753
3. अवर्गीकृत भूमि	1,48,889	3,993	-	1,52,882	31,712	5,334	17	37,063	1,15,819	1,17,177
4. भवन	76,714	2,014	(72)	78,656	9,085	2,651	60	11,796	66,860	67,629
5. अस्थायी भवन ढांचे	968	22	-	990	968	2	17	987	3	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	12,997	515	-	13,512	1,317	462	-	1,779	11,733	11,680
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,380	97	-	1,477	348	72	7	427	1,050	1,032
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,045	55	-	2,100	1,118	52	-	1,170	930	927
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,30,970	133	(2)	2,31,101	61,591	12,248	16	73,855	1,57,246	1,69,379
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,307	339	(349)	1,297	931	92	(246)	777	520	376
11. विद्युत संस्थापनाएं	859	50	-	909	207	51	-	258	651	652
12. पारेषण लाइने	1,872	522	-	2,394	541	121	-	662	1,732	1,331
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,015	592	4	4,611	1,409	253	(1)	1,661	2,950	2,606
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,763	123	(2)	1,884	558	114	(1)	671	1,213	1,205
15. वाहन	1,168	180	(39)	1,309	543	68	(29)	582	727	625
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	24	4	-	28	94	98
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,10,286	852	(3,860)	5,07,278	1,40,984	26,807	(877)	1,66,914	3,40,364	3,69,302
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,37,804	2,137	(26)	1,39,915	42,726	7,437	445	50,608	89,307	95,078
19 निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय /अप्रचलित आस्तियां	23	-	(3)	20	-	-	-	-	20	23
20. ऐसी आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	**11,37,526**	**11,722**	**(4,349)**	**11,44,899**	**2,94,110**	**55,789**	**(592)**	**3,49,307**	**7,95,592**	**8,43,416**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,19,940**	**10,900**	**6,686**	**11,37,526**	**2,40,442**	**55,246**	**(1,578)**	**2,94,110**	**8,43,416**	**8,79,498**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां साफ्टवेयर	337	39	-	376	263	33	-	296	80	74
उप जोड़	**337**	**39**	**-**	**376**	**263**	**33**	**-**	**296**	**80**	**74**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**337**	**-**	**-**	**337**	**228**	**35**	**-**	**263**	**74**	**109**

मूल्यह्रास का ब्यौरा	**चालू वर्ष**		**वर्ष गत**	
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	772		602	
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	48,386		48,122	
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	6,664	55,822	6,557	55,281
वर्ष के दौरान 1500.00 रु. से अधिक परंतु 5000.00 रु. से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	15		16	

10.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रु. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

टिप्पणी :– 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 14 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार
			वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,636	1,212	(103)	(1,429)	4,316
सड़क, पुल तथा पुलिया		924	696	(96)	(510)	1,014
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		44	20	-	(53)	11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		24,855	36,202	(36)	(502)	60,519
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार अन्य जलीय कार्य		63,756	23,944	(721)	(3,341)	83,638
जलागम क्षेत्र वनीकरण		181	247	-	-	428
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		2,260	669	-	(323)	2,606
ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।		-	-	-	-	-
अन्य		383	24	(50)	(333)	24
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		10,095	141	(472)	-	9,764
विनिमय भिन्नता		-	-	-	-	-
ब्याज लंबित आबंटन	23	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	1,633	2,105	(1,633)	-	2,105
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		2,945	524	(216)	(258)	2,995
योग		**1,11,712**	**65,784**	**(3,327)**	**(6,749)**	**1,67,420**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**78,519**	**40,249**	**(1,005)**	**(6,051)**	**1,11,712**
अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन		0	47	0	(14)	33
उप जोड़		**0**	**47**	**0**	**(14)**	**33**

टिप्पणी :– 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		13,954		9,531	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		878		643	
पेंशन निधि		645		515	
उपदान		1,420		527	
कल्याण		167	17,064	113	11,329
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		107		91	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		383	490	365	456
दर एवं कर			27		6
विद्युत एवं ईंधन			540		360
बीमा			9		8
संचार			140		129
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		2		0	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		1		0	
भवन		289		141	
अन्य		401	693	179	320
यात्रा एवं वाहन			425		374
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			267		198
सुरक्षा			199		192
प्रचार तथा जनसंपर्क			90		51
अन्य सामान्य व्यय			924		1,719
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			40		5
मूल्यह्रास	10		772		602
कुल व्यय (क)			**21,680**		**15,749**
प्राप्तियां					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक जमा से		10		5	
कर्मचारियों से		145		101	
अन्य से		5	160	4	110

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			2		1
किराया प्राप्तियां			69		64
विविध प्राप्तियां			88		37
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			91		121
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			7		0
कुल प्राप्तियां (ख)			**417**		**333**
पूर्वावधि समायोजन	26		38		33
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**21,301**		**15,449**
कराधान के लिए प्रावधान	**27**				
सम्पत्ति कर		27	27	9	9
कराधान सहित निवल व्यय			**21,328**		**15,458**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			1,633		977
कुल ईडीसी			**22,961**		**16,435**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		20,264		14,229	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो		592	20,856	573	14,802
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।					
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**2,105**		**1,633**

टिप्पणी :– 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		55,082	52,107	41,396	38,421
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			**45,794**		**32,108**

टिप्पणी :– 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के बावत		17,871		12,430	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		6,626		8,054	
iii) अन्य		20,215		23,173	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		179	44,891	2	43,659
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,576		0
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			32,315		43,659
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,803		2,313	
अप्रतिभूत		1,452	4,255	1,542	3,855
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,238		2,055	
अप्रतिभूत		183	2,421	172	2,227
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		2	
अप्रतिभूत		0	1	0	2
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		3		3	
अप्रतिभूत		0	3	0	3
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रूप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		184		212	
निदेशको को		0		0	
खरीददारों को		0		0	
अन्यों को		1,423	1,607	7,161	7,373
जमा					
प्रतिभूति जमा		189		191	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		389		391	
अन्य जमा		1	579	1	583
उप–जोड़			**8,866**		**14,043**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़-अग्रिम			**8,866**		**14,043**
कुल ऋण और अग्रिम			41,181		57,702
नोटः निदेशकों द्वारा देय					
मूल			1		2
ब्याज			3		3
योग			4		5
टिप्पणीः अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			4		4
ब्याज			5		5
योग			9		9

टिप्पणी :– 14

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित और औसत मूल्य आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर)					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		0		2	
अन्य		0		17	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	0	0	19
उप जोड़			**0**		**19**
पूर्व प्रदत्त व्यय		143		143	
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं		0	143	0	143
उप जोड़			**143**		**143**
योग			**143**		**162**

टिप्पणी :– 15

वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
वस्तु सूचियां					
(भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		722		185	
मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रीकल स्टोर एवं स्पेयर्स		4,384		3,288	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जों सहित)		299		204	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		8	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	5,405	6	3,691
घटाएं : अन्य भंडारणों के लिए प्रावधान			311		310
कुल			**5,094**		**3,381**

टिप्पणी :– 16

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
(i) **छः माह से अधिक बकाया ऋण**					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		26,493		11,629	
संदिग्ध समझे गए		0	26,493	0	11,629
(ii) **अन्य ऋण**					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2,09,082		52,725	
संदिग्ध समझे गए		0	2,09,082	0	52,725
(iii) **विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		3,144		1,08,062	
संदिग्ध समझे गए		0	3,144	0	1,08,062
कुल			**2,38,719**		**1,72,416**

16.1 व्यापार प्राप्य में 3144 लाख रु. निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति 32666 लाख रु. एवं विनियामक देयताएं 29522 लाख रु.) [पूर्व वर्ष 108062 लाख रु. (विनियामक परिसंपत्ति 123253 लाख रु. एवं विनियामक देयताएं 15191 लाख रु.), शामिल है।

टिप्पणी :– 17

नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समरुप					
बैंकों में शेष (बैंकों में आटो–स्वीप, फ्लैक्सी जमाराशियों सहित)			4,095		7,690
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट स्टांप			0		0
हस्तगत नकदी			3		2
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			37		50
योग			**4,135**		**7,742**

टिप्पणी :– 18

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		742		630	
अप्रतिभूत		145	887	158	788
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		155		129	
अप्रतिभूत		3	158	2	131
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		3		3	
अप्रतिभूत		0	3	0	3
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नगद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		419		351	
निदेशकों को		0		0	
खरीददारों के लिए		1,177		404	
अन्य के लिए		357	1,953	967	1,722
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		167		145	
जमा किया गया कर		2,446		2,446	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,104		209	
अन्य जमा राशियां		0	4,717	0	2,800
उप जोड़			**7,719**		5,445
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**7,711**		**5,437**
कुल ऋण और अग्रिम			**7,711**		**5,437**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			3		3
ब्याज			1		1
कुल			**4**		**4**
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			2		2
ब्याज			1		0
योग			**3**		**2**

टिप्पणी :– 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			1,760		1,168
उपार्जित ब्याज			15		3
योग			**1,775**		**1,171**

टिप्पणी :– 20

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री		2,37,567		2,12,783	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम		0		1,619	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,37,567	0	2,14,402
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			0		934
यू.आई./संकुचन प्रभार			1,578		1,359
परामर्श से आय			571		681
योग			**2,39,716**		**2,17,376**

20.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी एवं कोटेश्वर एचईपी के लिए 2014–19 तक की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण करने हेतु माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। वर्ष 2014–19 के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण लंबित होने के कारण बिक्री राजस्व को लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी के अनुसार मान्यता दी गई तथा वित वर्ष 2014–15 का टैरिफ ईआरसी टैरिफ विनियामन, 2014 में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर जो वर्ष 2014–19 तक की अवधि हेतु लागू है, निकाला गया है।

दिनांक 27.01.2015 के सीईआरसी आदेश के आधार पर डिस्कॉम से वर्ष 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए टिहरी एचपीपी के विरूद्ध 114035 लाख रु. बकाया राशि के रूप में वसूली की जानी है। टीएचडीसीआईएल ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 10(1) के अनुसार उक्त टैरिफ अवधि में उक्त बकाया धनराशि के विरूद्ध पहले ही 106200 लाख रु. की मान्यता दी है।

7800 लाख रु. की अंतर धनराशि को चालू वित्त वर्ष में राजस्व के रूप में लेखांकित किया गया है। उक्त टैरिफ आदेश के आधार पर 25800 लाख रु. विनियामक ब्याज सहित मान्यता दी गई जो उक्त आदेश का समग्र प्रभाव है। माननीय सीईआरसी के आदेश के भरोसे में इसी प्रकार 14331 लाख रु. की नियामक देयता केएचईपी की पूर्वावधि मद के रूप में भी प्रदान किया गया है।

कंपनी ने टिहरी एचईपी एवं केएचईपी दोनों के लिए वर्ष 2009–14 के लिए सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। सीईआरसी द्वारा जारी आदेश के आधार पर आदेश का प्रभाव उस वर्ष होगा जिस समय आदेश प्राप्त हुआ है। केएचईपी के लिए अंतिम टैरिफ आदेश राजस्व की मान्यता सीईआरसी के अनंतिम आदेश के अनुसार होगा।''

टिप्पणी :– 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 91934.00 रु. शामिल है, पिछले वर्ष 30559.00 रु.)		43		26	
कर्मचारियों से		397		348	
अन्य		20	460	29	403
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			15		1
किराया प्राप्तियां			129		124
विविध प्राप्तियां			514		355
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			319		276
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			57		36
योग			**1,494**		**1,195**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		417		333
योग			**1,077**		**862**

टिप्पणी :– 22

कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			32,083		24,777
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,982		1,697
पेंशन निधि			1,486		1,397
उपदान			3,388		1,934
कल्याण व्यय			563		378
योग			**39,502**		**30,183**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		17,064		11,329
योग			**22,438**		**18,854**

टिप्पणी :– 23

वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			49,325		54,520
योग			**49,325**		**54,520**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत	11.1		5,447		1,493
योग			**43,878**		**53,027**

टिप्पणी :– 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		154		143	
कर्मचारी आवास किराया		718	872	724	867
दर एवं कर			132		175
विद्युत एवं ईंधन			1,458		1,379
बीमा			1,833		1,298
संचार			342		345
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2,304		1,367	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		628		617	
भवन		1,112		680	
अन्य		2,290	6,334	1,440	4,104
यात्रा एवं वाहन			913		886
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			953		889
सुरक्षा			2,227		2,101
प्रचार तथा जनसंपर्क			322		172
अन्य सामान्य व्यय			2,376		4,788
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			68		17
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			593		576
अनुसंधान और विकास			154		241
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			22		35
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			2,909		1,063
ग्राहकों को छूट			191		252
योग			**21,699**		**19,188**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,844		3,818
योग			**17,855**		**15,370**

टिप्पणी :– 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,576		0
भण्डारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			62		0
योग			**12,638**		**0**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			**12,638**		**0**

टिप्पणी :– 26

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		27	27	1	1
व्यय					
कर्मचारी प्रसुविधा व्यय		1		6	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		18		178	
अन्य सामान्य व्यय		13		1	
मूल्यह्रास		(305)		911	
विज्ञापन और प्रचार		0		5	
विनियामक समायोजन		14,330		0	
विविध – अन्य		0	14,057	9	1,110
उप जोड़			**14,030**		**1,109**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		38		33
योग			**13,992**		**1,076**

टिप्पणी :– 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			18,323		13,952
उप जोड़			**18,323**		**13,952**
कुल			**18,323**		**13,952**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			80		42
उप जोड़			**80**		**42**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		27		9
योग			**53**		**33**

28. आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैं।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं। • सीएसआर एवं एसडी खर्चों के संबंध में लेखाकरण नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के क्रम में बदल दिया गया है। • कंपनी ने खराब एवं संदेहपूर्ण कर्जदारों/वसूलनीय इत्यादि के प्रावधानों के लिए एक नई लेखाकरण नीति बनाई है।
एएस 2	वस्तुओं का मूल्यांकन	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इस प्रकार इसके पास कच्चा माल/डब्ल्यू आई पी नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	नगदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण, उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकटित किए गए अनुसार एएस–3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकास्मिकताएं और घटनाएं	• तुलन पत्र की तारीख के बाद इस तरह की कोई बड़ी रिपोर्ट करने योग्य स्थिति नहीं आई।
एएस 5	अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	• ऐसी कोई अतिरिक्त सामान्य आय/ व्यय नहीं है जिसके लिए एएस–5 के तहत प्रकटन आवश्यक है। पूर्व अवधि की मदें (आय और व्यय) नोट 26 में प्रकट कर दी गई है।
एएस 6	मूल्यह्रास लेखांकन	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सी ई आर सी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ष के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10– अचल संपत्तियों में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरु नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन	• एएस वापस ले लिया गया है।
एएस 9	राजस्व को मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा अनुमत्य अंतिम टैरिफ के आधार पर अपने ब्रिकी राजस्व को मान्यता देती रही है। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10 (iv) केन्द्रीय कंपनी द्वारा अपनाए गए बिकी राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 10	अचल परिसंपत्तियां के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस–10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरु और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, अंतिम विवरण में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• लेखांकन नीति संख्या 7 (i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन–देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सिंचाई घटक और पीएचआरडी अनुदान के लिए जीओयूपी से खपत अंशदान प्राप्त किया है। एएस– 12 के अनुसार लेखांकन व्यवहार किया गया है और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी की परिभाषित हित योजनाएं एवं परिभाषित अंशदायी स्कीमें दोनों के अधीन कई कर्मचारी कल्याणकारी स्कीमें हैं। • <u>परिभाषित अंशदायी योजना</u> क. सीपीएफ ख. अधिवर्षिता पेंशन निधि • <u>परिभाषित हित योजनाएं</u> क. ग्रेच्युटी ख. अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा घ. सेवानिवृत्ति सामान ढुलान भत्ता
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी लागत के लिए 5447 लाख रु. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता को लेखांकन नीति संख्या 6 (i) से 6 (ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में संलग्न है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान संबंद्ध पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। तथापि प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक के नोट संख्या 29.9 द्वारा प्रकट किया गया है।
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.15 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और तनूकृत दोनो ई पी एस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए यह एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2014–15 के दौरान 13686 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नहीं की गई है, इस प्रकार कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• हालांकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 (vi) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की अंतिम रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं की गई है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कपंनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नकदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक देनदारी के रुप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखत, मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मानक प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत करार	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बचे संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) 336848 लाख रु. (गत वर्ष 328584 लाख रु.) है।

2. **आकस्मिक देयताए**

(लाख ₹ में)

		2014–15	2013–14
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले	191592	199281
	(क) बैंक गारंटी 371 लाख रु. है (गत वर्ष 3778 लाख रु.) कंपनी, द्वारा दिया गया।		
	(ख) अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी 351 लाख रु. (गत वर्ष 351 लाख रु.) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।		
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 173 लाख रु. (गत वर्ष 179 लाख रु.) लाख शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	186	180
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	428	218

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों में कंपनी को एफडीआर/सीडीआर प्राप्त की जा रही हैं। कंपनी ने 1239 लाख रु. (गत वर्ष 1047 लाख रु.) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4159 लाख रु. (गत वर्ष 4890 लाख रु.) ''जमा, प्रतिधारण राशि'' भी प्राप्त की है।

4. कंपनी ने टिहरी शहर (टिहरी जलाशय के डूब के तहत) से सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को पुनर्स्थापित करने के लिए नई टिहरी शहर में सरकारी कार्यालय और संस्थाओं सहित कर्मचारी आवास के लिए भवनों का निर्माण किया गया। उत्तराखंड सरकार पर अतिरिक्त जगह उपलब्ध करवाए जाने के बदले 7800 लाख रु. का दावा किया गया। इस राशि को निदेशक मंडल की वजह से अनुमोदन के साथ वसूल न किए जाने पर बट्टे खाते में डाल दिए गए।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए शून्य राशि/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 5447 लाख रु. (गत वर्ष 1493 लाख रु.) है।

6. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिवर्षिता पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ट्रस्ट का गठन और पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त मूलवेतन+दैनिक भत्ते का 10 प्रतिशत की दर से अनन्तिम राशि की अन्य औपचारिकताएं पूरा करना लंबित है।

7 (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन करने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 3255.11 हेक्टेयर की कुल भूमि में से 1866.18 हेक्टे. भूमि का कंपनी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। शेष भूमि 1388.93 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कंपलैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ भी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23:सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

8. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 30 फ्लैट (गत वर्ष 43 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिसे अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

9. क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस. के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते भविष्य निधि में अंशदान तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 250 लाख रु. (गत वर्ष 248 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2014-15	2013-14
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 69115	₹ 59532
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 34978077 तनुकृत : 34978077	मूल : 34435027 तनुकृत : 34435027
प्रतिशेयर आय रुपये मूल तनुकृत	197.60 197.60	172.88 172.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 13686 लाख रु. (गत वर्ष 6920 लाख रु.) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2015	31.03.2014
	आस्थगित कर देयता (ए)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर अंतर	33644	26631
iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7309	7309
iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4461	166
v)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6693	4315
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(52107)**	**(38421)**

12 (i) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार अनुमतीय 1377 लाख रु. राशि की तुलना में वित्तीय चालू वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर खर्चे के रूप में 2909 लाख रु. की राशि खर्च की है।

(ii) कंपनी ने वर्ष 2014–2015 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 390 लाख रु. (पिछले वर्ष 266 लाख रु.) खर्च किया है।

13. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए कोई राशि शेष नहीं है।

14. प्रबंधन ने संविदाकार मैसर्स पीसीएल–इंट्राटेक लेन्हिड्रो कंसोट्रियम के माध्यम से जोखिम और लागत तंत्र के तहत कोटेश्वर एचईपी का निर्माण कार्य कार्यान्वित करवाया ताकि परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। कंपनी द्वारा संविदा के तहत

भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक भुगतान की गई राशि जोखिम और लागत खाते में डेबिट की गई थी और उसे संविदाकार से वसूलनीय राशि के रुप में दर्शाया गया था। संविदाकार मध्यस्थता के लिए चला गया है और अवार्ड विवाद के अधीन है। इससे दुखी होकर कंपनी अवार्ड को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में रिट दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है। जोखिम एवं लागत लेखा के तहत यथा संभावित 11947 लाख रु. को लंबित मामलों के निस्तारण के लिए रखा गया है।

15. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिया है। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 829 लाख रु. (गत वर्ष 901 लाख रु.) शामिल है (निवल वसूलियां)।

16. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का निश्चित अंशदान अदा करती है जो इन निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। परिवार पेंशन स्कीम के अंशदान का भुगतान उचित प्राधिकारियों को किया जाता है। अवधि के लिए 218 लाख रु. (गत वर्ष 129 लाख रु.) के अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि ऐसे निश्चित अंशदान से सदस्य को न्यूतनम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, एएसः15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए गारंटीशुदा सांविधिक ब्याज दरों के कारण हुई 31.03.2014 को देनदारी 363 लाख रु. (गत वर्ष 125 लाख रु.) बैठता है जबकि 142 लाख रु. का राजस्व अधिशेष (गत वर्ष 102 लाख रु.) था।

(ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2015 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के लाभ का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों का लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2015 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमानः

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.0%	8.5%
भावी वेतन वृद्धि	8.0%	6.5%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632
ब्याज लागत	939	417	198	396	53
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	675	328	117	462	44
भुगतान किया गया लाभ	(1188)	(1910)	(67)	(428)	(58)
बीमांकित (लाभ/हानि)	2266	2131	1118	4288	64
वर्ष के अंत में पीवीओ	13741	5875	3692	9382	735

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	13741	5875	3692	9382	735
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(13741)	(5875)	(3692)	(9382)	(735)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(13741)	(5875)	(3692)	(9382)	(735)

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	675	328	117	462	44
ब्याज लागत	939	417	198	396	53
विगत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	2266	2131	1118	4288	64
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में चिन्हित व्यय	3880	2876	1433	5146	161

17. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
01.	नीति संख्या 1 में "विद्युत अधिनियम, 2013 के अनुसार सीईआर विनियम लागू" जोड़कर परिवर्तित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
02.	नीति संख्या 4 (ii), लेकिन कंपनी के नियंत्रण और स्वामित्व के अधीन जोड़कर परिवर्तित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
03	नीति संख्या 10 (xii) डीपीई दिशा–निर्देशानुसार गैर समाप्त योग्य निधि के रूप में लाभ का विहित : अलग निर्धारित करते हुए अनुसंधान एवं विकास पर।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
04	नीति संख्या 10 (xiii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।	सी एस आर पर 187 लाख खर्चा बढ़ा है और लाभ में कमी दिखाई जा रही है।
05	नीति संख्या 10 (xiv) अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के प्रावधान पर।	उस समय बने प्रावधान से लाभ में कमी और चालू वर्ष के दौरान 20438 लाख रु. का अशोध्य ऋण बट्टा खाता तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 12638 लाख रु. के प्रावधान में बढ़ोत्तरी और 7800 लाख रु. की वसूलनीय / प्राप्ति योग्य धनराशि में कमी दर्शाना।

18. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

₹ लाख में

		2014-15	2013-14
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	8*	8
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	------	------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	------	-------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	5	3
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	3

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

₹ लाख में

	विवरण	2014-15	2013-14
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	27	15
	परामर्श और व्यावसयिक प्रभार	17591	5060
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	257	0
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	0	2802
	माल का आयात	0	342
	अन्य (अग्रिम)	4	2818
	सम्मेलन के लिए नामांकन		0
	साफ्टवेयर की खरीद		0
	अन्य	1271	
	कुल	**19149**	**11036**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	0	470
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**0**	**470**
घ	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रूपए में)	60	1
	(%)	9.55	0.14
ii)	देशी (लाख रूपए में)	568	617
	(%)	90.45	99.86
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

20. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नही**	लागू नही**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) –(सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक उत्पादन		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
(ख)	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	4214.182866	5582.264162
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3690.1711231	4887.0780941

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन न. 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के मामले के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, को तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी के कार्य के संबंध में;

(ख) हानि व लाभ विवरणों के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकद प्रवाह।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा यथापेक्षित हम उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में विवरण संलग्न करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन अनुलग्नक–।। में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ड.) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर 31 मार्च, 2015 को निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लाए जाने पर 31 मार्च, 2015 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में कोई भी निदेशक अनर्ह नहीं है और

   (च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और बेहतर जानकारी के साथ और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार शामिल किया जाना है–

      i. कंपनी ने इसके वित्तीय स्थिति पर इस वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 29.2 का संदर्भ लें;

      ii. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी पहले से अनुमानित महत्वपूर्ण घाटा नहीं है।

      iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का फर्म पंजीकरण सं. 003202 एन

(अनंत भाटिया)
एफसीए, साझेदार
सदस्यता सं. 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

अनुलग्नक-I

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक I का भाग

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक I)

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

ii. (क) वस्तुसूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तुसूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है तथा वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा कंपनी के राजस्व के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप काफी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। वर्ष 2013–14 के लिए लागत लेखा परीक्षा पूर्ण की गई है तथा वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पहले ही की गई है। लेकिन वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2015 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2007-08	1.11	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 28.2.2011 के निर्धारण आदेश में की गई मांग के विरुद्ध अपील दायर की है और अपील की अभी सुनवाई होनी है।

ग. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई भी धनराशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

viii. कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुई थीं।

ix. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

x. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xi. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

xii. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का
एफआरएनः 003202 एन

(अनंत भाटिया)
एफसीए, साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का एक भाग अनुलग्नक–II

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–II)

क्र. सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट	की गई कार्रवाई	लेखांकन एवं वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चयनित की गई है तो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के मामले में पूर्ण स्थिति (अमूर्त परिसंपत्तियां एवं भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षित सहित) का विनिवेश प्रकिया परीक्षण किया जाए जिसमें वर्तमान अवस्था के तरीके और प्रतिशतता स्थिति शामिल है।	टीएचडीसी इंडिया लि. को विनिवेश के लिए चयनित नहीं किया गया है। तथापि यह भारत सरकार के द्वारा विनिवेश के लिए विचाराधीन है। पूर्व शर्त के रूप में, एओए और एमओए को संशोधित करने का प्रयास किया गया है। इस दस्तावेज में संशोधन करने के लिए और शेयरों के विभाजन करने के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित एओए और एमओए मसौदा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है। इसलिए परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन की स्थिति अभी नहीं आई है।	कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।	शून्य
2.	कृपया बताएं कि ऋणों/ब्याज इत्यादि के क्या अधित्याग/बट्टे खातो के कोई मामले हैं। यदि हां तो उसके कारण बताएं और उसमें शामिल राशि बताएं।	हां, कंपनी ने 23.05.2015 को संपन्न 175वीं बैठक में निदेशक मंडल की अनुमति से 78.01 करोड़ रु. बट्टे खाते में डाल दिए हैं। बट्टे खाते में डालने का कारण संक्षिप्त में नीचे दिया गया है– सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं और कर्मचारी आवासों के भवनों का निर्माण कार्य तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लि. को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य जारी रखने की सलाह और सरकारी कार्यालयों/संस्थानों के स्थानांतरण पूर्ण होने के बाद राशि जारी करने का आश्वासन दिया था। निर्माण, शिफ्टिंग और पुनर्स्थापन चरणबद्ध तरीके से 1998–99 तक निरंतर चलता रहा। वर्ष 2000 में राज्य के अस्तित्व में आ जाने पर संपत्ति उत्तराखंड राज्य सरकार को सौंप दी गई। इस प्रकार यह मांग उत्तराखंड राज्य के समक्ष उठाई गई जिसमें उत्तराखंड सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि संपत्ति तो तत्कालीन उ.प्र. सरकार से इस राज्य को बंटवारे के फलस्वरूप मिली है। इसलिए टीएचडीसी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले पर सचिव, विद्युत/संयुक्त सचिव, विद्युत के द्वारा कई बैठकों की अध्यक्षता के दौरान चर्चा की गई थी। किसी भी फर्म ने भुगतान जारी करने का कोई आश्वासन/प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। इस धनराशि को अवसूलनीय मान लिया गया। इस प्रकार इस मामले को निदेशक मंडल की 175वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत कर चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 की बहियों में बट्टे खाते में डाल दिया गया।	लाभ और हानि लेखा से राशि घटा दी गई।	शुद्ध लाभ 78.01 करोड़ रुपए कम हो गया।
3.	क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गई सामग्री और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से भेंट के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	तीसरी पार्टियों के पास पड़ी सामग्री के संबंध में उचित रिकार्ड रखा जा रहा है। सरकार/अन्य किसी दूसरे प्राधिकरणों से कोई परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की गई हैं।	कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।	शून्य
4.	पूरे विधिक मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर खर्चे के लिए एक मानीटरिंग तंत्र का लंबित/प्रभावशाली और मौजूद होने के कारणों सहित लंबित विधिक/माध्यस्थम मामलों की समयवार विश्लेषण पर रिपोर्ट	31 मार्च, 2015 को समय वार दर लंबित विधिक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है– **अवधि** — **मामलों की संख्या** 0–1 वर्ष — 242 1–3 वर्ष — 97 3 वर्ष एवं उससे ऊपर — 134 कंपनी के द्वारा तय किए गए इन विधिक मामलों से संबंधित व्यावसायिक शुल्क मामला दर मामला के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तय किए गए हैं। विधिक मामलों का पिछले 3 वर्षों से लंबित होने का मुख्य कारण सुनवाई का पूरा नहीं होना है, इस वजह से ये मामले विभिन्न विधिक फोरमों के समक्ष काफी दिनों से निस्तारण के लिए लंबित हैं इनके त्वरित निस्तारण के लिए सघन रूप से इन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी सं. 29.2 में समुचित आकस्मिक देयता का खुलासा कर दिया गया है।	शून्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

(अनंत भाटिया) एफसीए, साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी, लेखाकार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का एफआरएनः 003202 एन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

गोपनीय

सख्याः **No. MAB-III/Rep/01-17/A/cs-THDC/2015-16/Vol.V/927**

Hkkjrh; ys[kk ,oa ys[kkijh{kk foHkkx

कार्यालय

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–**III**

नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE

PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT

& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,

NEW DELHI

सत्यमेव जयते

दिनांक / **Dated 09th September, 2015**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषयः 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

ह./-
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 011 - 23239227, Fax : 011 - 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 31 जुलाई, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा
परीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितम्बर, 2015

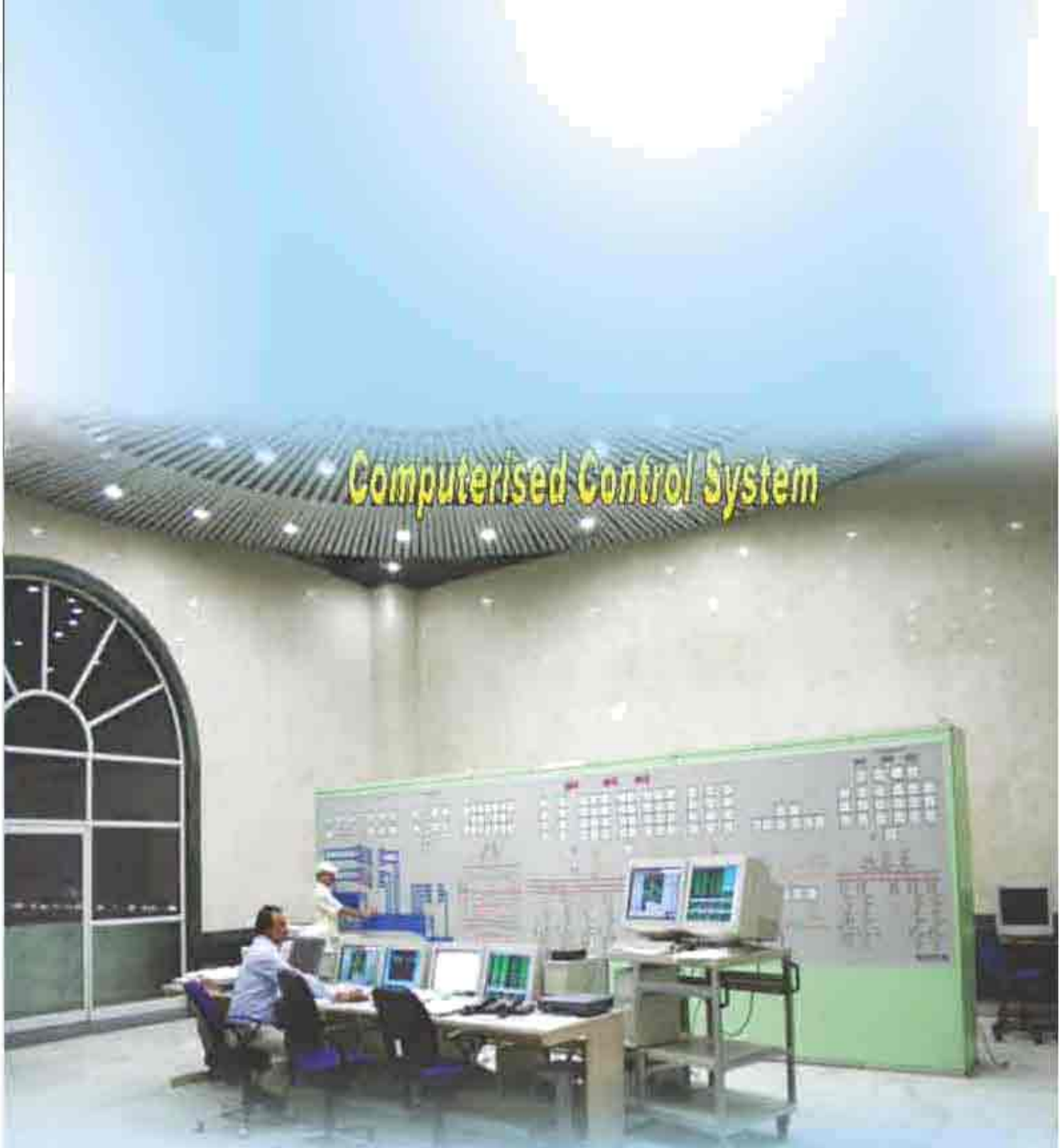

टिहरी एचपीपी के भूमिगत पावर हाउस की कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली
Computerised Control System of Underground Power House of Tehri HPP

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)
Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2435761
CIN: U45203UR1988GOI009822 Website : http://www.thdc.gov.in